न्यायालय प्रथम अपर जनपद न्यायाधीश, बहराइच।
उपस्थित– पवन कुमार शर्मा–II, उच्चतर न्यायिक सेवा
{J. O. Code No.– UP02735}
CNR.No.UPBH010026722023

चुनाव याचिका संख्या –01/2023

कु० विजय पुष्पम सिंह पुत्री श्री विजय कुमार सिंह निवासिनी ग्राम डिहवा शेरबहादुर सिंह, मोहल्ला डिहवा उत्तरी नगर पंचायत कैसरगंज परगना हिसामपुर, थाना व तहसील कैसरगंज, जिला– बहराइच।

.....याचिकाकर्ता

बनाम

1– यूसुफ अली पुत्र श्री सय्यूब अली निवासी ग्राम/मोहल्ला ऐनी हन्तिसी नगर पंचायत कैसरगंज परगना हिसामपुर थाना व तहसील कैसरगंज, जिला–बहराइच।

2- तौहीद आलम पुत्र जमील अहमद
3– श्रीमती हसीना पत्नी मुबीन अहमद अंसारी
4– अब्बास पुत्र कुर्बान
5– अर्जुन प्रसाद पुत्र धर्मराज
6– आत्म प्रकाश सिंह पुत्र जगदीश सिंह
7– कसीम अहमद पुत्र जाबिर अली
8– नीतू सिंह पत्नी महेन्द्र विक्रम सिंह
9– नबी अहमद पुत्र पताली
10– महेन्द्र सिंह पुत्र योगेन्द्र सिंह
11– विजेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र कृष्ण चन्द्र सिंह
12– आमना बेगम पत्नी फरोज हसन

निवासीगण ग्राम/मोहल्ला डिहवाशेर बहादुर सिंह नगर पंचायत कैसरगंज परगना हिसामपुर,तहसील कैसरगंज जनपद–बहराइच।

13- फिरोज असन पुत्र नियाज
14– तंजीम अहमद पुत्र अकलीम अहमद
15– नसीमा बेगम पत्नी इमरान अहमद
16– बादुश अली पुत्र अराजिक
17– महताब आलम पुत्र तबीब अहमद

निवासीगण ग्राम/मोहल्ला ऐनी हतिन्सी नगर पंचायत कैसरगंज परगना हिसामपुर, तहसील कैसरगंज जनपद–बहराइच।

18– सोनी मिश्र पत्नी दिवाकर मिश्रा
19– वन्दना मिश्रा पत्नी सुधाकर मिश्रा
20– दिवाकर मिश्रा पुत्र स्व० श्रीधर मिश्रा
21– अलक्षेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र अमरेश बहादुर सिंह

निवासीगण ग्राम/मोहल्ला राजा नौगईयां नगर पंचायत कैसरगंज, परगना– हिसामपुर, तहसील कैसरगंज, जिला–बहराइच।

22– इफितखार अली पुत्र जुलफिकार अली निवासी ग्राम/मोहल्ला पवना नगर पंचायत कैसरगंज,

Digitally signed by Pawan Kumar Sharma
Date: 2026.04.04 17:01:37 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

परगना हिसामपुर, तहसील कैसरगंज, जनपद– बहराइच।

23– राम बाबू पुत्र बाबादीन निवासी ग्राम/मोहल्ला जमालुद्दीनपुर नगर पंचायत कैसरगंज परगना हिसामपुर, तहसील कैसरगंज, जिला– बहराइच।

24– शिवनरायन पुत्र राम सनेही निवासी ग्राम/मोहल्ला चकपिहानी नगर पंचायत कैसरगंज, परगना हिसामपुर, तहसील कैसरगंज, जिला– बहराइच।

25– श्रीपाल पुत्र बाल किशन निवासी ग्राम/मोहल्ला गुथिया नगर पचायत कैसरगंज, परगना हिसामपुर, तहसील कैसरगंज, जिला– बहराइच।

26– रिटर्निंग ऑफिसर उपजिलाधिकारी, कैसरगंज जिला– बहराइच।

27– सहयक रिटर्निंग ऑफिसर तहसीलदार कैसरगंज, जिला– बहराइच।

28– सहायक रिटर्निंग ऑफिसर सर्वेश कुमार वर्मा बी०डी०ओ० ब्लाक कैसरगंज, जिला– बहराइच।

29– मतगणना कर्मी पवन चोहान लेखपाल तहसील कैसरगंज, जिला– बहराइच।

30– जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी, बहराइच।

.....विपक्षीगण

<u>निर्णय</u>

1– प्रस्तुत **चुनाव याचिका**, याचिकाकर्ता कु० विजय पुष्पम सिंह के द्वारा विपक्षीगण के विरूद्व धारा–19/20 उत्तर प्रदेश नगरपालिका/नगर पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत नगर पंचायत, कैसरगंज, बहराइच के अध्यक्ष पद हेतु हुए चुनाव में विपक्षी सं०–1 द्वारा अवैध रूप से दर्ज कराये गये मतों व मतगणना के दौरान अवैधानिक रूप से मतगणना में हेरा–फेरी के तथ्य को संज्ञान में लेते हुए विपक्षी द्वारा भ्रष्ट प्रक्रिया (Corrupt Practice) अपनाये जाने के तथ्य का संज्ञान लेकर पुनःमतगणना कराने और पुनःमतगणना में याची को अधिक मत प्राप्त होने की दशा में विजयी घोषित किये जपने तथा याचिका में वर्णित तथ्यों के आधार पर विपक्षी सं० 1 द्वारा चुनाव में भ्रष्ट प्रक्रिया अपनाकर (Corrupt Practice Adopt) करने के कारण विपक्षी सं० 1 का चुनाव अवैध घोषित करने का आदेश पारित करते हुए, याची को नगर पंचायत कैसरगंज के अध्यक्ष पद पर विजयी घोषित किया जावे।

<u>चुनाव याचिका के आधारः–</u>

2– याचिकाकर्ता के द्वारा चुनाव याचिका में यह आधार लिये गया है कि –

(i) याची नगर पंचायत, कैसरगंज में हुए अध्यक्ष पद की भाजपा प्रत्याशी थी। उक्त चुनाव में 4062 मत राज्य चुनाव आयोग की वेबसाइट सरकारी आकड़ो द्वारा याची को प्राप्त होना प्रदर्शित किया गया तथा प्रतिवादी सं० 1 यूसुफ अली जो सपा प्रत्याशी थे उन्हे 4307 मत प्राप्त होना प्रदर्शित किया गया है। याची व विपक्षी सं० 1 के अलावा अन्य 24 प्रत्याशी उपरोक्त अध्यक्ष के चुनाव के प्रत्याशी थे जो प्रस्तुत याचिका में विपक्षी सं० 2 ता 25 है जिनका चुनाव निशान व प्राप्त मतों की संख्या सरकारी वेबसाईट आकड़ो के अनुसार व मतगणना स्थल पर रखे गये बोर्ड पर जो मतगणना कर्मी लिखते थे उनके अनुसार का विवरण क्रमवार इस चुनाव याचिका के साथ संलग्न, संलग्नक में दर्शाया गया है। जिनके अवलोकन से यह स्पष्ट परिलक्षित है कि मतगणना स्थल पर रखे बोर्ड पर अंकित विवरण व

वेबसाईट पर प्रदर्शित विवरण दोनो में काफी भिन्नता है। चुनाव की मतगणना प्रारम्भ होने पर प्रशासन की तरफ से तमाम अवरोध उत्पन्न किये जा रहे थे तथा चुनाव पेटिकायें व सील बन्द बक्शे मतगणना हेतु जहां रखे थे उनसे करीब 4 फिट दूरी पर बल्लियां बंधी थी जिन पर जालियाँ लगी थी वहीं प्रत्याशी व उनके एजेन्टो के खडे होने की व्यवस्था थी तथा दूर से ही मतगणना स्थल पर प्रत्याशियों/अभिकर्ताओं को मत पेटिकायें खोलने का कार्य व मतगणना के दौरान मत पत्र दिखाये जा रहे थे क्योकि जहां पर बक्शे रखे थे सभी मतगणना अभिकर्ता जाली के बाहर दूसरी तरफ ही से खड़े किये गये थे । मतगणना प्रारम्भ होने के पूर्व से दौरान मतगणना काफी अफरा–तफरी का माहौल था। मतगणना स्थल पर 5 टेबल लगाये गये थे जिनके तीन ओर मतगणना कर्मी बैठे हुए थे। एक ओर प्रत्याशी/अभिकर्ता खड़े थे तथा कुल 6 चरणो में काउन्टिंग हुई थी सभी प्रत्याशियों के पांचो टेबल पर मतगणना देखने हेतु एजेन्ट थे।

(ii) याची के एजेन्ट राघवेन्द्र प्रताप सिंह, क्रान्ति कुमार सिंह, अखिलेश कुमार सिंह, प्रफुल्ल राज सिंह, दीपक कुमार सिंह व प्रतिनिधि विजय कुमार सिंह थे। उक्त समस्त लोग पूरी मतगणना के समय वहां उपस्थित रहे। याची के 5 टेबल पर 5 एजेन्ट थे जबकि विपक्षी सं० 1 ने शासन व चुनाव आयोग के निर्देशो के विपरीत मतगणना स्थल पर उपस्थित अधिकारियों के अनुचित सहयोग से मतगणना प्रभावित कर लाभ पाने के लिये अन्य प्रत्याशियों की ओर से अपने नाते व रिश्तेदारो को एजेन्ट बना दिया था जिस पर एक प्रत्याशी शिव नरायन द्वारा आपत्ति भी उठाई गयी थी कि उसकी और उसे बिना उसकी सहमति के गलत व अवैधानिक तरीके से विपक्षी सं० 1 के सगे भाई मकसूद अली पुत्र सय्यूब अली को तथा विपक्षी सं० 1 के पिता सय्यूब अली के ममेरे भाई नाजिम अली (जुम्मन) पुत्र खादिम अली को प्रत्याशी शिव नरायन का मतगणना एजेन्ट बना दिया है जिसे निरस्त कर उन्हे एजेन्ट न रखा जाये किन्तु शिव नरायन चौरसिया द्वारा आपत्ति करने के बाद भी रिटर्निंग आफीसर एस०डी०एम कैसरगंज विपक्षी सं० 26 द्वारा यह दिनांक–12.05.2023 को यह आदेश किया गया कि जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही कर अवगत कराये परन्तु विपक्षी सं० 1 के प्रभाव व साजिश के चलते कोई कार्यवाही मतगणना तक नहीं हुई।

(iii) विपक्षी सं० 1 ने अपने भाई बिरादर मिलाकर 8–10 अतिरिक्त मतगणना एजेन्ट हो गये थे जिसमें 6 को छोड़कर शेष अवैधानिक व कूटरचित ढंग से एजेन्ट बनाये गये थे जिस पर प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। और उन लोगों ने मतगणना के समय उपस्थित रहकर अपने प्रभाव दबाव का इस्तेमाल कर दौरान मतगणना मौके पर मौजूद अधिकारियों व मतगणना कर्मियों से निरन्तर सम्पर्क बनाये रखकर मतगणना को गलत तरीके से प्रभावित किया जबकि दूसरी ओर जरवल नगर पंचायत को मतगणना के समय सपा प्रत्याशी के पति श्री इन्तेजार अहमद उर्फ मिथुन का एजेन्ट पास तुरन्त निरस्त कर दिया गया था। मतगणना प्रारम्भ होने पर प्रथम चरण की काउन्टिंग में ही सभी टेबल पर इनवैलिड व नोटा वोट मत पत्रों को अलग करते समय मतगणना कर्मियों द्वारा स्पष्ट रूप से दिखाया ही नहीं गया और बिना दिखाये ही यह कह कर पीछे रख दिया जाता था कि यह गड्डी इनवैलिड व नोटा वोटो की है जिनकी गिनती बाद में करते समय दिखाया जायेगा, परन्तु याची के व अन्य एजेन्टो को न तो संख्या बतायी गयी और न ही दिखाया गया यह इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि मतगणना स्थल पर जो बोर्ड लगा

था उसमें सभी प्रत्याशियों के नाम के आगे प्राप्त वोटो की संख्या प्रारम्भ में तो लिख दी जाती थी परन्तु इनवैलिड वोट व नोटा वोटो की संख्या अन्त तक छः चरण पूरा होने के बाद भी नहीं लिखी गयी।

(iv) विपक्षी सं० 1 ने चुनाव के पूर्व से ही चुनाव में Corrupt Practice Adopt के आशय से वोटर लिस्ट में फर्जी वोट बढ़वाये **प्रथम चरण** की गिनती के समय चौथे टेबल पर ऐनी दक्षिणी बूथ सं० 19 का बक्शा जब खुला तो उसमें कुल मत 418 बताये गये तथा याची को 11 व विपक्षी सं० 1 को 98 मत प्राप्त होना बताया गया इसी बूथ नम्बर 19 में विपक्षी सं० 1 के परिवार के सदस्यों के 48 व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में विपक्षी सं० 1 ने फर्जी तरीके से दो बार दर्ज करा दिया व सूची में उनके नाम दो बार लिखे थे और उक्त अवैध वोट उन्ही व्यक्तियों द्वारा दो बार विपक्षी सं० 1 ने अपने पक्ष में मतदान कराया जो पूर्णतया अवैध मत थे जिन्हे विपक्षी सं० 1 के मतों में गिना गया। बूथ सं0 25 में 408 मत पाये गये जिसमें लगभग 82 वोट मतदाता सूची में विपक्षी सं० 1 के मेली मद्दगार के नाम जिनकी वल्दियत भी एक है वोटर लिस्ट में विपक्षी सं० 1 ने फर्जी तौर पर दर्ज कराकर अपने पक्ष में मतदान कराया जो अवैध था। इस प्रकार 82 वोट एक ही व्यक्ति द्वारा दो बार विपक्षी सं० 1 ने अपने पक्ष में डलवाकर चुनाव में Corrupt Practice Adopt कर चुनाव प्रभावित किया तथा प्रथम चरण की सम्पूर्ण गणना के बाद सम्पूर्ण मत 2441 बताये गये परन्तु गिनते समय 2359 मतों की ही गणना हुई।

(v) **नोटा और अवैध मत**, मतगणना के दौरान नहीं बताये गये जो काफी ज्यादा थे परन्तु वाद में सरकारी आकड़ो में नोटा व रद्द मतों की संख्या 82 प्रदर्शित कर दिया गया व याची के वैध मतों को गलत तरीके से रद्द मतों में व विपक्षी सं० 1 के रद्द होने वाले मतों को उसके वैध मतों में मिलाकर गिन दिया गया तथा साथ ही 106 उन मतदताओं के मत जो डबल/दो बार दर्ज थे उन्हे भी विपक्षी सं० 1 के पक्ष में गिन दिया गया।

(vi) **दूसरे राउन्ड** की मतगणना में बूथ नम्बर 20 व बूथ नम्बर 26 के 85 अवैध मत की गणना को मतगणना स्थल पर रखे बोर्ड पर नहीं दर्शाया गया तथा याची के 85 मतों को नोटा व रद्द मतों में दिखा दिया गया अतएव द्वितीय चरण पूरा होने तक निश्चित रूप से याची के मतों की सं0 195 की लीड की थी और अवैध मतों में याची के मतों की संख्या 82+ 85= 167 को भी जोड़ दिया जाये तो याची 362 मतों से याची आगे थी जिसे मतगणना कर्मियो द्वारा नहीं दिखाया गया तथा विपक्षी सं० 1 को अनुचित लाभ पहुंचाया गया तथा इसी बूथ संख्या 20 में 38 तथा बूथ नम्बर 26 में 50 नाम विपक्षी सं० 1 ने अपने मेली मद्दगारो के दो बार मतदाता सूची में दर्ज कर वाये व उनके फर्जी मत भी विपक्षी सं० 1 ने मतदान कर्मियो को धनबल से प्रभावित कर डलवाया जिनकी गिनती विपक्षी सं० 1 के पक्ष में हुई जो भ्रष्ट प्रक्रिया (Corrupt Practice) व असम्यक असर (Undue Influence) का परिणाम है जिससे चुनाव की पवित्रता व परिणाम प्रभावित हुआ इस प्रकार बूथ सं० 20 व 26 में क्रमशः 26 व 50 कुल 88 मत जो विपक्षी सं० 1 के पक्ष में डाले गये वे मतदान के समय मतदाता सूची में डबल होते हुए भी डाले गये जिसको मतदाता सूची व पड़े मतों की लिस्ट का अवलोकन कर स्पष्ट रूप से प्रमाणित किया जा सकता है।

(vii) **तृतीय चरण** में राजा नौगइंया बूथ नम्बर 9 व हतिन्सी बूथ सं0 21 में याची व विपक्षी सं० 1 के मतों को मतगणना के समय 956 व 534 बताया गया जिसमें 171 वोटो का ब्योरा मतगणना बोर्ड पर

नहीं दर्शाया गया और न ही यह बताया गया कि नोटा व अवैध मत कितने थे। चूंकि मतगणना कर्मी पूरी तरह से विपक्षी सं० 1 की मद्द कर रहे थे अतएव बिना दिखाये अवैध मतों की 50–50 की गड्डी बनाकर मतगणना कर्मी अपने पीछे टेबल पर रख रहे थे जो साफ तौर से जाली के पीछे खड़े एजेन्ट याची द्वारा गिना जा रहे थे। उपरोक्त तीनो चरण की काउन्टिंग में जितने वोट याची को प्राप्त होना मतगणना के समय मतगणना कर्मियों द्वारा याची के एजेन्ट को बताये गये और जो एजेन्ट द्वारा अपने चार्ट में लिखे गये थे उनमें अन्तर नहीं था बल्कि जो वोट विपक्षी सं० 1 के तीनो चरण में बताये गये थे उनमें भारी अन्तर था। इस प्रकार तीसरे चरण समाप्ति पर 362+ 422= 784 मत की लीड याची ले चुकी थी जबकि अवैध मत अलग रखे जा रहे थे जिससे याची के वैध वोट जो याची के पक्ष में पड़े थे व रद्द मतों में भी मिला दिये गये वो गिने ही नहीं गये। चौथे चरण के मतदान में पवनी बूथ सं० 4 राजा नौगइया बूथ सं0 10 डिहवा उत्तरी बूथ सं0 16 हतिन्सी बूथ सं0 15 चकपिहानी बूथ नम्बर 22 हतिन्सी व बूथ सं0 28 में कुल प्राप्त मतों की संख्या 2663 थी परन्तु मतगणना स्थल पर बोर्ड में जो दर्शित हुए वह 2572 थे तथा जिसमें 91 वोटो का अन्तर स्पष्ट है। जिसे बोर्ड पर लिखा नहीं गया वे किसके वोट थे नहीं बताया गया साथ ही साथ चौथे चरण में याची के एजेन्ट को प्राप्त मतों की संख्या जो बतायी गयी और विपक्षी सं०–1 के प्राप्त मतों की संख्या जो मतगणना करते समय बतायी गयी वह निम्न है–

बूथ सं०	चुनाव चिन्ह कमल	चुनाव चिन्ह साइकिल
4 पवनी	152	98
10 राजा नौगइया	32	128
16 डिहवा उत्तरी	150	149
22 हतिन्सी	159	192
28 चकपिहानी	222	89
टोटल	**715**	**656**

(viii) इस प्रकार याची **चौथे चरण** में भी 59 मतों से आगे थी परन्तु बोर्ड पर दर्शाये गये मतों की संख्या में विपक्षी सं० 1 के मतों को मतगणना समाप्त होने के बाद 842 दर्शा दिया गया जो पूर्णतया गलत है अतएव बोर्ड पर विपक्षी सं० 1 के मत 186 वोट ज्यादा लिख दिये गये यहां यह तथ्य पूरी तरह से स्पष्ट करना जरूरी है कि तीसरे चरण के मतगणना तक जैसे–जैसे मत गिने जाते थे उसी समय मतों का विवरण बोर्ड पर लिख दिया जाता था जो मीडिया कर्मियों के लिये एवं एजेन्टो के लिये उपलब्ध था परन्तु चौथे चरण से प्रशासन के द्वारा बोर्ड पर लिखना बन्द कर दिया गया और जब कारण पूछा गया तो बताया गया कि अभी इनवैलिड वोटो की गणना नहीं हो पायी है इस लिये सब साथ में लिखा जायेगा। इस प्रकार पांचवे चरण की मतगणना में कुल 2633 वोट डाले गये थे और मतगणना बोर्ड पर केवल 2499 अंकन हुए और 134 वोटो का कोई विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया तथा पांचवे चरण में 26 लोगों के सामने वोटो की गिनती लिखी गयी और 27 कालम में 3 वोट अंकित किये गये वह किस लिये अंकित किये गये उसका कोई स्पष्टीकरण विवरण बोर्ड पर नहीं दिया गया तथा बोर्ड पर कैसे विपक्षी सं० 1 के सामने 1128 लिख दिया गया जो मतगणना एजेन्टो को बताये गये वोटो से बिलकुल

भिन्न था।

(ix) **पांचवे चरण** में बूथ सं0 23 में जो मतदान हुए उसमें 95 व्यक्तियों के नाम विपक्षी सं० 1 ने अपने भाई बिरादर के दो बार लिखवाये और अपने पक्ष में मतदान कराया जिससे जिसमें भी चुनाव परिणाम मतदान व मतगणना प्रभावित हुई। जब याची के एजेन्ट ने पांचवे चरण के बाद मतगणना कर्मियों से पूछा कि नोटा और इनवैलिड मतों की संख्या एजेन्टो को क्यो नहीं बता रहे है तब मतगणना कर्मियों द्वारा कहा गया कि नोटा और इनवैलिड मतों को अलग रख दिया गया है और जब पूरे चरण की गिनती समाप्त हो जायेगी तब बताया जायेगा कि चौथे व पांचवे चरण में विपक्षी सं० 1 के मतों को 656 की जगह बोर्ड में मतगणना कर्मियों ने 842 दर्शाया गया व पांचवे चरण में 948 की जगह मतगणना बोर्ड में 1128 दर्शाया गया परन्तु इसका कोई भी कारण एजेन्ट को नहीं बताया गया।

(x) **चरण छः** के मतगणना में 4 बूथो की मतगणना हुई जिसमें बाजार पुरवा बूथ नं0 12 व पैनी पश्चिमी बूथ नं0 24 में भारी गड़बड़ी की गयी और मतगणना कर्मियों द्वारा जो मत नोट कराये गये वो याची के 601 मत थे और विपक्षी सं० 1 के 671 मत थे परन्तु विपक्षी सं० 1 के मतों को 695 दर्शाया गया जो पूर्णतया गलत था और सरकारी आकड़ो में कुल मतदान 2334 दर्शाया गया तथा बोर्ड के अनुसार 2226 दर्शाया गया और छठे चरण में भी 26 कैन्डिडेट्स सत्ताईसवें कालम में जीरो दर्शाया गया इस प्रकार 333 वोट का कोई लेखा जोखा उपलब्ध नहीं था और जो पहले चरण के इनवैलिड वोट थे उन्हे विपक्षी सं० 1 में मिलाकर उसके वोट बढ़ा दिया जाते थे बूथ नम्बर 25 में विपक्षी सं० 1 ने अपने भाई बिरादरों के 57 नाम एक ही व्यक्ति के व एक ही वल्दियत के अलग–अलग मकान नम्बर दर्शाकर मतदाता सूची में दर्ज कराकर मतदान कराया जो Corrupt Practice का परिणाम है इन सभी तथ्यों को स्पष्ट रूप से प्रमाणित करने के लिये मतदाता सूची की प्रति याची बूथवार प्रस्तुत कर रहा है अतएव विपक्षी सं० 1 के पक्ष में 57 मत अवैध डाले गये जो विपक्षी सं० 1 के पक्ष में Count किये गये जिससे पूर्ण रूप से परिणाम प्रभावित हुआ। यहां यह तथ्य भी बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रथम तीन चरण तक तो मतगणना कर्मियों द्वारा 26 प्रत्याशियों को प्राप्त मतों का विवरण लिख दिया जाता था परन्तु चौथे पांचवे व छठे राउन्ड की मतगणना में प्राप्त मतों की संख्या को मतगणना समाप्त होने पर एक साथ बोर्ड पर लिख दिया गया जो बोर्ड में लिखी गयी लिखावट से भी स्पष्ट है तथा पांचवे व छठे चरण में 27–27 कम क्यो बना दिये गये जबकि प्रत्याशी केवल 26 थे इसका भी कोई स्पष्टीकरण मतगणना कर्मी नहीं दे पाये चौथे पांचवे छठे चरण के बाद याची एजेन्टो को पूर्ण विश्वास हो गया कि प्रशासन पारदर्शी मतगणना नहीं करा रहा है। और अवैध मतों की संख्या व नोटा के मतों की संख्या को जो याची के एजेन्टो को 25 गड्डिया दिख रही थी यानी लगभग 1250 वोट इनवैलिड व नोटा के थे। परन्तु जब परिणाम घोषित हुआ तो नोटा इनवैलिड मतों की संख्या 686 बतायी बाकी अवैध मत 564 मत विपक्षी सं० 1 कि गड्डी में शामिल कर दिये गये।

(xi) मत गणना की गड़बड़ी देखते हुए याची द्वारा दिनांक–13.05.2023 को दौरान मतगणना ही पुनः मतगणना का प्रार्थना पत्र दिया गया और यह भी प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया कि अवैध मतों को सपा प्रत्याशी के मतों की गड्डी में मिलाकर गिन दिया गया है तथा याची के एजेन्ट ने देखा कि ऊपर का मत पत्र केवल साईकिल रख कर और नीचे की गड्डी इनवैलिड मतों की गड्डी से निकाल कर विपक्षी सं०

1 की गड्डी में रखा जा रहा है इस प्रकार मतगणना में भारी धांधली हुई और जानबूझकर याची को हराया गया। स्वयं विपक्षी सं० 1 ने अपने परिवार के सदस्यों को दो बार अलग–अलग मकान नम्बर के साथ दर्ज करवाकर मतगणना कर्मियों से साज करके व धन बल से एक व्यक्ति से दो बार मतदान कराकर अपने पक्ष में मत पत्र की बढ़ोत्तरी Corrupt Practice अपना कर की जिससे चुनाव परिणाम प्रभावित हुआ है यह निम्न से स्पष्ट है।

वार्ड नं0 11 बूथ नम्बर 19 की मतदाता सूची

क्रम संख्या	मतदाता का नाम	पिता/पति का नाम	मकान संख्या
444	यूसुफ अली	सय्यूब अली	126
445	आयशा बानो	यूसुफ अली	126
446	खुशहाल अफरीदी	महबूब अली	126
453	सय्यूब अली	महबूब अली	126

वार्ड नं०–13 बूथ नं०–23 की मतदाता सूची

क्रम संख्या	मतदाता का नाम	पिता/पति का नाम	मकान संख्या
532	सय्यूब अली	महबूब अली	264
567	आयशा बानो	यूसुफ अली	264
569	खुशहाल अफरीदी	महबूब अली	264

पांचवे व छठे चरण का ब्योरा मतगणना के समय जो मत याची के एजेण्ट को बताये गये वह निम्न है–

पांचवा चरण

बूथ सं०	चुनाव चिन्ह कमल	चुनाव चिन्ह साइकिल
5 पवनी	54	169
11 बाजारपुरवा	33	303
17 डिहवा खास	163	161
23 ऐनी पश्चिम	24	198
29 चकपिहानी	209	117
टोटल	**483**	**948**

छठा चरण

बूथ सं०	चुनाव चिन्ह कमल	चुनाव चिन्ह साइकिल
6 जमालुद्दीनपुर	306	62
12 बजारपुरवा	37	283
18 डिहवा खास	255	135
24 ऐनी पश्चिम	03	197
टोटल	**601**	**671**

इस प्रकार मतगणना कर्मियों द्वारा जब मतगणना बोर्ड पर चौथे पांचवे छठे चरण के प्राप्त मत

मतगणना बोर्ड पर जब एक साथ लिखा तो पांचवे छठे चरण में विपक्षी सं० 1 के मत अधिक करके 1128 व 695 लिख दिये गये जो पूर्णतया गलत था और लगभग आधे अवैध मतों को विपक्षी सं० 1 में शामिल कर दिया।

(xii) विपक्षी सं० 1 ने नामांकन के समय जो डिक्लेरेशन फार्म व शपथ पत्र भरा था उसमें अपने व अपनी पत्नी के नाम तमाम सम्पत्तियों को छुपा लिया है और अपने अपराधिक रिकार्ड का कोई ब्योरा नहीं दिया है इस प्रकार विपक्षी सं० 1 का नामनेशन निरस्त कर दिया जाना चाहिये था तथा तथ्यों को छिपाने के कारण विपक्षी सं०–1 भ्रष्ट प्रक्रिया (Corrupt Practice) करने का दोषी है।

(xiii) उ०प्र० नगर पालिका परिषद अधिनियम 1916 की धारा 12 E में स्पष्ट व्यवस्था है कि व्यक्ति एक ही वार्ड की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा सकता है तथा एक वार्ड में व्यक्ति का नाम दो स्थानो पर नहीं हो सकता है यदि एक व्यक्ति का नाम दो जगह दर्ज है तो वह Void है किन्तु विपक्षी सं० 1 ने एक ही नाम व वल्दियत के व्यक्तियों के नाम कई स्थानो व कई बूथो पर दर्ज कराकर उनका फर्जी मतदान अपने पक्ष में कराकर भ्रष्ट प्रक्रिया (Corrupt Practice) अपना कर चुनाव को प्रभावित किया है। पूरे चुनाव में मतदान से लेकर मतगणना तक भारी धांधली विपक्षी सं० 1 द्वारा करवायी गयी और इसकी रूप रेखा विपक्षी सं० 1 ने महिनो पहले तैयार कर ली थी जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि वार्ड नम्बर 5 साहनपुरवा के बूथ सं0 7 व 8 की मतदाता सूची में जो विपक्षी सं० 1 के भाई बिरादर दर्ज है वही मतदाता वार्ड नम्बर 7 बाजार पुरवा के बूथ नम्बर 11 व 12 में भी वही व्यक्ति मतदाता सूची में दर्ज है जिनका नाम व वल्दियत एक है इस प्रकार एक व्यक्ति के नाम पर कई लोगों से विपक्षी सं०–1 द्वारा अपने पक्ष में अवैध रूप से मतदान कराकर मतों की संख्या में अवैध रूप से मतों की बढ़ोत्तरी करायी। कुल 272 व्यक्तियों के नाम दो वार्ड में डबल दर्ज है जिसकी सूची इस याचिका के साथ संलग्न की जा रही है। वार्ड नम्बर 5, 10, 11, 12, 13, व 14 में मृतक व्यक्तियों के नाम विपक्षी सं0 1 ने दर्ज कराकर अपने पक्ष में अवैध मतदान कराकर अपने मतों को बढ़ाया जिनकी सं0 204 है इस प्रकार वार्ड नम्बर 5 व 7 के डबल व्यक्तियों के मत व मृतक व्यक्तियों की सं0 476 होती है जिनके मत अवैध रूप से विपक्षी सं० 1 द्वारा अपने पक्ष में डलवाये गये मृतक व्यक्तियों की सूची नाम व वल्दियत के मतदाता सूची में कमांक सहित इस याचिका के साथ संलग्न की जा रही है। मतणगना धांधली इसी तथ्य से स्पष्ट थी की चरण 4, 5, 6, के मत एक साथ बोर्ड पर पवन चौहान लेखपाल के द्वारा जल्दी–जल्दी अंकित कर दिये गये तब पुनः मतगणना का प्रार्थना पत्र उनके चुनाव एजेन्ट श्री विजय कुमार सिंह द्वारा विपक्षी सं० 26 को प्रस्तुत किया गया परन्तु आर०ओ० द्वारा पुनः मतगणना करने से इन्कार कर दिया तथा पुलिस बल का प्रयोग कर याची के मतगणना अभिकर्ताओं को मतगणना स्थल से जबरन बाहर कर दिया और विपक्षी सं० 30 के निर्देश पर विपक्षीगण सं० 26 ता 28 द्वारा विपक्षी सं० 1 को आनन फानन में विजयी होने का प्रमाण पत्र दे दिया।

(xiv) मतगणना के समय मतगणना अधिकारी द्वारा म्यूनिस्पल्टीज (कन्डक्ट आफॅ इलेक्शन मैम्बर्स) आर्डर 1964 के नियम 63 (2) व 6 के प्राविधानो का अनुपालन नहीं किया गया है मतगणना प्रारम्भ होते समय आर०ओ० द्वारा न तो वैलेट बाक्श के सील का निरीक्षण याची अथवा अन्य प्रत्याशियों अथवा उनके एजेन्ट द्वारा कराया गया और न ही अवैध मतों का निरीक्षण ही कराया गया और मतगणना

का कार्य मात्र औपचारिकता पूरी करने जैसा मनमाने तरीके से कराया गया जिससे मतगणना व चुनाव परिणाम गलत तरीके से प्रभावित हुआ। आर०ओ० महोदय फार्म 13 व फार्म 17 का अनुपालन नहीं किया गया और मतगणना स्थल पर जो बोर्ड लगाया गया उस पर प्रत्येक चरणवार मतों का अंकन विधि अनुसार न करके मनमाने तरीके से किया गया इसी चुनाव में नगर पंचायत से बाहर के गांव वैराकाजी के इदरीस आदि जो विपक्षी सं० 1 के निश्तेदार है उनका नाम वार्ड नम्बर 12 में बूथ सं0 22 की वोटर लिस्ट क्रम सं० 509 से 549 में फर्जी दर्ज कराकर मतदान कराया गया जिससे मतगणना स्वतः सन्देहास्पद सिद्ध होती है।

(xv) याची की ओर से पुन: मतगणना का प्रार्थना पत्र दौरान मतगणना दिनांक–13.05.2023 को ही आर०ओ० महोदय को दिया और उस पर सुनवाई न होने पर उसकी सूचना दिनांक–15.05.2023 को जिलाधिकारी, बहराइच (विपक्षी सं०–30) व उप जिलाधिकारी, कैसरगंज (विपक्षी सं०–26) को दी गयी किन्तु उस पर कोड कार्यवाही न होने की दशा में याचिका प्रस्तुत करने का वाद का कारण श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार के अर्न्तगत पैदा है। याची द्वारा विहित सिक्योरिटी राशि मु० 500/– रू० जरिये चालान भारतीय स्टेट बैंक शाखा बहराइच में अदा/ जमा कर दिया गया तथा याचिका हेतु निर्धारित मु0 120/–रू० का अदा किया जाता है।

(xvi) चुनाव याचिका अन्दर मियाद है।

(xvii) याचिका में याचना कि हैं कि, याचिका स्वीकार कर विपक्षी सं० 1 द्वारा अवैध रूप से दर्ज कराये गये मतों व मतगणना के दौरान अवैधानिक रूप से मतगणना में हेरा–फेरी व भ्रष्ट आचरण (Corrupt Practice) अपनाये जाने के तथ्य का संज्ञान लेकर पुन: मतगणना कराने तथा पुन: मतगणना में याची को अधिक मत प्राप्त होने की दशा में, विजयी घोषित किया जावे। तथा याची को नगर पंचायत, कैसरगंज के अध्यक्ष पद पर विजयी घोषित किया जावे तथा विपक्षी सं०–1 का परिणाम अवैध व शून्य घोषित किया जाए।

3– विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये नोटिस पर प्रतिवादी सं०–2 ता 13, 15 ता 16, 18 ता 25 ने उपस्थित होकर अपना आपत्ति/जबावदावा दाखिल किया। विपक्षी सं०–1, 14, 17, 26 ता 30 के विरूद्ध आदेश दिनांक–13.02.2024 से याचिका की कार्यवाही एकपक्षीय रूप से अग्रसारित की गयी थी। जिसमें विपक्षी सं०–1 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही को दिनांक–18.03.2024 के द्वारा तथा विपक्षी सं०–14 के विरुद्ध उक्त एकपक्षीय आदेश को रिकाल किया गया। शेष विपक्षी सं०–26 ता 30 के विरूद्ध मामले की कार्यवाही एकपक्षीय रूप से चल रही है।

आपत्ति/लिखित कथन

4– विपक्षी सं०–1 ने उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/जबाब दावा कागज स०–ए–19 प्रस्तुत कर याचिका का प्रस्तरवार उत्तर दिया है, जिसमें दफा–1 व 2 को स्वीकार किया है तथा अभिवचन किया है कि याची व विपक्षी सं०–1 के अलावा अन्य 24 प्रत्याशी अध्यक्ष पद के चुनाव हेतु होना तथा याचिका में उन्हे विपक्षी सं०–2 ता 25 के रूप में पक्षकार बनाया जाना व सरकारी बेव साइट पर प्रदर्शित मतगणना के आंकड़े व मतगणना स्थल पर रखे गये बोर्ड पर मतगणनाकर्मी द्वारी लिखे जाने वाले मतगणना के आंकड़े बिल्कुल समान है तथा मतगणना स्थल पर रखे गये बोर्ड पर अंकित विवरण

व वेबसाइट पर प्रदर्शित विवरण में काफी भिन्नता है, को असत्य एवं अस्वीकार किया है। दफा–3, 4 व 5 के लिए कहा है कि, दफा हाजा जिस तरह व जिस उद्देश्य से लिखी गयी है सही नहीं है, गलत है व इंकार है। अतिरिक्त कथन अवलोकित हो। दफा–6 ता दफा–16 को कतई गलत व इंकार कहा है। दफा–17 व 18 के लिए कहा है कि, जिस तरह व जिस उद्देश्य से दफा हाजा तहरीर की गयी सही नहीं है गलत है व इंकार होना कह है। दफा–19 के लिए कहा है कि कतई गलत है व इंकार है। दफा हाजा में अंकित पांचवे चरण में विपक्षी/उत्तरदाता सं०–1 को प्राप्त मतों की सं०–1128 के बजाये 948 बिल्कुल गलत रूप से अंकित की गयी है तथा याचिनी द्वारा छठे चरण में दी गयी कथित संख्या के अनुसार योग 677 का आता है जबकि 671 प्रदर्शित किया गया है यद्यपि सही स्थिति यह है कि बूथ सं०–6, 12, 18 व 24 में विपक्षी उत्तरदाता नं०–1 को कुल 695 मत प्राप्त हुए है जो स्वयं याचिनी द्वारा याचिका के साथ प्रस्तुत चार्ट से स्पष्ट होता है। दफा–20 में कहा है कि, कतई गलत है इंकार है। विपक्षी/उत्तरदाता सं०–1 व उसकी पत्नी के नाम जो भी चल व अचल सम्पत्ति थी उसे स्पष्ट रूप से डिक्लेरशन फार्म व शपथ–पत्र में दर्शाया गया है तथा विपक्षी/उत्तरदाता सं०–1 के विरूद्ध कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं है इसलिए कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है। दफा–21 ता दफा–27 को कतई गलत है व इंकार किया है। दफा–28 के लिए कहा है कि, उक्त सिक्योरिटी राशि व निर्धारित शुल्क से सम्बन्धित है। दफा–29 बावत मियाद है तथा दफा–30 के लिए कहा है कि, याचिनी किसी भी उपशम को पाने की अधिकारिणी नहीं है, याचिका सव्यय निरस्त होने योग्य है।

<u>अतिरिक्त कथन</u> में कहा है कि, याचिनी द्वारा महेज विपक्षी/उत्तरदाता सं०–1 को गलत रूप से हैरान व परेशान करने की नियत से गलत याचिका प्रस्तुत की गयी है। याचिका में सारवान तथ्यों एवं विशिष्ट आधारो का समावेश नहीं किया गया है बल्कि सामान्य एवं निरक्षक तथ्यों का समावेश किया गया है। प्रस्तुत याचिका विधि विधान के विपरीत है तथा सम्पूर्ण प्रकार से गलत है एवं निरस्त होने योग्य है। सम्बन्धित अध्यक्ष पद का मतदान व मतगणना पूर्णरुपेण निष्पक्ष पारदर्शी व नियमानुसार व विधिअनुकूल की गयी है जिसमें न तो किसी भी पक्ष के साथ कोई गड़बड़ी और न तो कोई धांधाली ही की गयी है। चूंकि याचिनी को कम मत प्राप्त हुये इसलिये उन्हे बिल्कुल सही रूप से असफल प्रत्याशी घोषित किया गया तथा विपक्षी उत्तरदाता संख्या–1 को सार्वाधिक मत पाने की दशा में सपल प्रत्याशी घोषित किया गया जिससे क्षुब्ध होकर गलत याचिका प्रस्तुत की गयी है। याचिनी द्वारा अपनी याचिका में बिल्कुल गलत रूप से कपोल कल्पित सामान्य तथ्य का अंकन किया गया है कि मतगणना स्थाल पर प्रशासन द्वारा प्रत्याशियो व एजेन्टो के खडें होने की व्यवस्था इस प्रकार की गयी थी जिसमें चार फिट की दूरी रखी गयी थी जबकि सत्यता यह है कि मतगणना के समय मतपत्रों की सुरक्षा हेतु जालीदार बल्लियां अवश्य लगायी गयी थी तथा प्रत्याशियो व एजेन्टो के बैठने की भी व्यवस्था की गयी थी । प्रत्याशियो व एजेन्टो के बैठने के स्थान से मतपत्र बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखो जाने की व्यवस्था थी और मतगणनाकर्मियो द्वारा की जा रही निष्पक्ष मतगणना को प्रत्याशियों व उनके एजेन्टो द्वारा स्पष्ट रूप से देखा जा रहा था और मतगणना से सन्तुष्टि प्रकट की जा रही थी। याचिनी द्वारा अपने याचिका का यह कथन कि मक्तूद अली व नाजिम अली जो कि विपक्षी उत्तरदाता संख्या–1 से सम्बन्धित है, जान बूझकर विपक्षी सं०–24 के मतगणना एजेन्ट बन गये, जिसके सम्बन्ध में एस० डी० एम० द्वारा कोई

कार्यवाही नहीं की गयी, बिल्कुल गलत है। स्वंय विपक्षी संख्या 24 द्वारा अपने मतगणना एजेन्ट मकसूद अली व नाजिम अली को बनाने हेतु प्रपत्र प्रारूप 34 अपने हस्ताक्षारित मय प्रस्तावित एजेन्ट फार्म फोटो सहित स्वंय सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया तथा सक्षम अधिकारी के समक्ष उनके नाम से किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किये गये शिकायती पत्र पर कोई कार्यवाही न किये जाने का कथन किया गया तथा मकसूद अली व नाजिम अली को अपना मतगणना एजेन्ट बनाये जाने पर बल दिया किन्तु कथित शिवनरायन विपक्षी संख्या 24, याचिनी के प्रभाव में आ गये है इसलिये याचिनी उसका प्रयोग करने के प्रयास में है यद्यपि इस कथन से चुनाव परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इतलिये उक्त आधार व कथन निरर्थक की श्रेणी में आता है। चुनाव प्रक्रिया प्रारम्भ होने के पहले सक्षम कर्मचारियो व अधिकारियों द्वारा मतदाता सूची तैयार की जाती है तथा उसका विधिवत प्रकाशान किया जाता है तथा उसपर आपत्ति आदि आमंत्रित की जाती है और आपत्ति आने की दशा में उसका निस्तारण किया जाता है तत्पश्चात मतदाता सूची का अन्तिम प्रकाशान किया जाता है। मतदाता सूची में हुयी गड़बड़ियो को चुनाव याचिका का आधार नहीं बनाया जा सकता है तथा मतदाता सूची के सही व गलत होने सम्बन्धी चुनाव याचिका में आधार नहीं लिया जा सकता है इस आधार पर भी याचिनी द्वार ा प्रस्तुत उक्त चुनाव याचिका, उत्तर प्रदेशा नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा–19(2)(क) से बाधित है एवं चलने योग्य नहीं है। उपरोक्त अध्यक्ष पद के चुनाव में मतदान से लेकर मतगणना व चुनाव परिणाम घोषणा तक की कार्यवाही सम्बन्धित सक्षम अधिकारियों द्वारा बिल्कुल निष्पक्ष व पारदर्शिता के साथ विधि व नियमों के अनुकूल ही सम्पादित हुयी है। विपक्षी उत्तरदाता नं०–1 व सम्बन्धित कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा किसी प्रकार की कोई करेप्ट प्रेक्टिस को न तो अपनाया गया है और न तो ऐसा होने का कोई प्रश्न ही उठता है। याचिका ने याचिका में न तो कथित करेप्ट प्रैक्टिस के तात्विक तथ्यो के सूक्ष्म कथन अन्तर्विष्ट किया है और न तो उससे सम्बन्धित व्यक्तियो के नामो व भ्रष्ट चलनों की सम्पूर्ण विशिष्टियों को ही अंकित किया है इस आधार पर भी उपरोक्त चुनाव याचिका अन्तर्गत धारा–20 उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 संधार्य नहीं है । उपरोक्त चुनाव याचिका सम्पूर्ण प्रकार से गलत है एवं निरस्त होने योग्य है। चुनाव याचिका सव्यय निरस्त होने योग्य है। चुनाव याचिका अन्तर्गत आदेश–7 नियम 11 सी०पी०सी० के प्राविधान से बाधित है।

5– विपक्षी/प्रतिवादी सं०–2 ता 13, 15, 16 व 18 ता 25 के द्वारा आपत्ति/प्रतिवाद पत्र कागज सं०–ए–09 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि, दफा–1 अतिरिक्त कथन के आधार पर स्वीकार है। अतिरिक्त कतन का अवलोकन किया जाए। दफा–2 सही है स्वीकार है। दफा–3 अतिरिक्त कथन के आधार पर स्वीकार है। अतिरिक्त कतन का अवलोकन किया जाए। दफा–4 मतगणना स्थल पर मतगणना हेतु 5 मेजो का लगाया जाना व उनके तीन ओर मतगणना कर्मियो का बैठे होना व एक ओर उससे काफी दूर जाली के बाहर प्रत्याशियों के एजेन्ट का खडे रहना स्वीकार है। शेष तथों का विशिष्ट ज्ञान नहीं है। दफा–5 बताबे उजरात मजीद स्वीकार है उजरात मजीद मुलाहिजा हो। दफा–6 सही है स्वीकार है, मतगणना कर्मियो द्वारा इनवैलिड बताये जाने वोटों की कोई गिनती दौरान मतगणना अथवा मतगणना के पश्चा प्रतियाशियो अथवा उनके एजेन्ट के समक्ष नहीं की गयी और न उनकी कोई गिनती मतगणना स्थल पर रखे बोर्ड पर अंकित की गयी मतगणना का कार्य मतगणना कर्मियो द्वारा

बिल्कुल मनमाने तरीके विहित प्रकिया के विरूद्ध से किया गया। दफा–7 विपक्षी सं० 01 द्वारा वोटर लिस्ट में Corrupt Practice का इस्तेमाल करके एक व्यक्तियों के नाम दो से तीन स्थानो पर दर्ज कराया जाना व अपने प्रभाव का गलत इस्तमाल कर फर्जी मतदान कराया जाना सही है शेष मजमून दफा हाजा जिस प्रकार तहरीर है, सही है। दफा–8 प्रतिवाद पत्र में किये गये कथनो के प्रकाश में दफा हाजा में वर्णित तथ्य स्वीकार है। दफा–9 प्रतिवाद पत्र में किये गये कथनो के प्रकाश में दफा हाजा में वर्णित तथ्य स्वीकार है। दफा–10 प्रतिवाद पत्र में किये गये कथनो के प्रकाश में दफा हाजा में वर्णित तथ्य स्वीकार है। दफा–11 मतगणना कर्मियो द्वारा विपक्षी सं0 01 को प्राप्त वोटो में रद्दमतों याची व अन्य प्रत्याशियों के मतपत्र गलत तरीके से मिलाकर वोटो को गिन दिया जाना सही है। दफा–12 बताबे उजरात मजीद स्वीकार है। दफा–13 बताबे उजरात मजीद स्वीकार है। दफा–14 सही है स्वीकार है। दफा–15 जिस प्रकार तहरीर है सही है मतगणना स्थल पर रखे बोर्ड पर नियमित रूप से मतों की गणना नहीं लिखी जा रही थी और मतगणना कर्मियो द्वारा इस सम्बन्ध में कहे जाने पर प्रत्याशियों व उनके एजेन्ट को सन्तोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा था। दफा–16 सही है स्वीकार है। दफा– 17 सही है स्वीकार है। दफा–18 जिस प्रकार तहरीर है सही है। दफा–19 सही है स्वीकार है।दफ़ा–20 विशिष्ट ज्ञान के आभाव में सम्यक जवाबदेही सम्भव नहीं है। दफा–21 विशिष्ट ज्ञान के आभाव में सम्यक जवाबदेही सम्भव नहीं है। दफा–22 बताबे उजरात मजीद स्वीकार है। दफा–23 ता दफा–27 बताबे उजरात मजीद स्वीकार है। दफा 28– ज्ञान नहीं है अतः सम्यक जवाबदेही सम्भव नहीं है। दफा–29 बावत मियाद कोई उज्र नहीं है। दफा–30 याचिका में वर्णित तथ्यो के आधार पर याचिका स्वीकार होने में विपक्षीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

विशिष्ट कथन में कहा है कि, विपक्षी सं० 01 धनाड्य व प्रभावशाली व्यक्ति है तथा काफी दबंग पृष्ठभूमि का है। विपक्षी सं0 01 ने चुनाव मद्देनजर चुनाव को गलत तरीके से प्रभावित करने के लिए प्रारम्भ से ही वोटर लिस्ट में फर्जी नाम दर्ज करवाने व अपने परिवार व करीबियों का नाम दो–दो स्थानो पर दर्ज कराने व फर्जी मतदान उसी आधार पर कराने का कार्य अपने पैसे व प्रभाव के बल पर किया और अपने प्रभाव के क्षेत्रो में धन बल व प्रभाव का प्रयोग कर भारी मात्रा में अवैध मतदान कराया व उसके प्रभाव व अधिकारियों में पकड होने के कारण उसके विरूद्ध किसी की भी सुनवाई नहीं की गयी है। फर्जी मतदान कराने के बावजूद स्वंय को चुनाव में विजयी न होता देख विपक्षी स० 01 ने अपने प्रभाव का प्रयोग कर मतगणना कार्य को प्रभावित किया और अन्य प्रत्याशियों को प्राप्त वैध मतों को इन्वैलिड कराने व अन्य प्रत्याशियों के मतों व इनवैलिड मतों को स्वंय को प्राप्त मतपत्रों में मिलवाकर गलत मतगणना कराकर स्वंय को विजयी घोषित करा लिया। पक्षी सं०–1 ने मतगणना के समय अफरा–तफरी का माहौल पैदा करने व मतगणना को गलत तरीके से प्रभावित करने के उद्देश्य से अन्य प्रत्याशियों के एजेन्ट के रूप में गलत तरीके से अपने व्यक्तियों व रिश्तेदारो को एजेन्ट नियुक्त करवा दिया और उसके विरूद्ध एक प्रत्याशी शिव नारायन द्वारा उस पर आपत्ति की गयी तो उसकी कोई सुनवाई अधिकारियों द्वारा नहीं की गयी और आनन–फानन में मतगणना की सारी कार्यवाही विपक्षी सं०–1 को अनुचित लाभ पहुंचाते हुए सम्पादित कर दी गयी। दौरान मतगणना मतगणना कर्मियो के कार्यवाही से व विपक्षी सं०–1 द्वारा नियुक्ति कराये गये विभिन्न एजेन्ट के दबाव प्रभाव को

देखने से ही ऐसा प्रकट हो रहा था कि जैसे सम्पूर्ण कार्यवाही विपक्षी सं0 01 प्रभाव के तहत उसे जिताने के लिए अपनाई जा रही है और याची तथा अन्य प्रत्याशियों द्वारा जब भी विरोध किया जाता था तो मौजूद पुलिस द्वारा उसे दबाकर बन्द कर दिये जाने की धमकी दी जाती थी और मौके पर काफी अफरा–तफरी का माहौल था व विपक्षी सं०–1 के प्रभाव के कारण किसी की कोई सुनवाई नहीं की जा रही थी। दौरान मतगणना मतगणना में गडबडी देखने पर और अवैध मतों को विपक्षी सं0 01 को प्राप्तमतों में मिलाकर गिन दिये जाने पर याची द्वारा जब उसका विरोध किया गया और पुनःमतगणना का प्रार्थना पत्र दिलाया गया तब उसकी कोई सुनवाई न करते हुए आनन–फानन में पता नहीं किस दबाव में विपक्षी सं०–1 को विजयी घोषित कर चुनाव परिणाम घोषित कर दिया गया और वहाँ मौजूद समस्त लोगों को पुलिस बल द्वारा तुरन्त बाहर करवा दिया गया। प्रश्नगत चुनाव पूरी तरीके से विपक्षी सं०–1 द्वारा अवैध रूप से प्रभावित कर करप्ट प्रैक्टिस द्वारा प्रभावित किया गया है जिससे लोकतान्त्रिक मर्यादा का पूर्ण रूप से हनन हुआ है।

6– विपक्षी सं०–14 द्वारा आपत्ति/प्रतिवाद–पत्र कागज सं०–ए–25 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि, दफा–1 सत्य है व स्वीकार है। दफा–2 याची को मिलाकर कुल 25 प्रत्याशी अध्यक्ष पद हेतु चुनाव हेतु होना सही है तथा शेष दफा हाजा जिस तरह व जिस मक्सद से तहरीर की गयी है, गलत है व ईकार है। दफा–3 जिस तरह व जिस मक्सद से तहरीर की गयी हैसही नहीं है असत्य है व अस्वीकार है। दफा–4 जिस तरह व जिस मकसद से तहरीर की गयी है सही नहीं है असत्य है व अस्वीकार है। दफा–5 जिस तरह व जिस मकसद से तहरीर की गयी है सही नहीं है असत्य है व अस्वीकार है। दफा–6 ता दफा–16 असत्य है व अस्वीकार है। दफा–17 जिस तरहव जिस मकसद से दफा हाजा तहरीर की गयी है सही नहीं है असत्य है व अस्वीकार है। उजरात मजीद मुलाहिजा हो। दफा–18 ता दफा–19 असत्य है व अस्वीकार है। दफा–20 ता दफा–23 विशिष्ट ज्ञान के अभाव में सम्यक जवाबदेही सम्भव नहीं है। दफा–24 ता दफा–27 असत्य है व अस्वीकार है। दफा–28 कोई उर्ज नहीं है। दफा–30 याचिनी किसी भी उपशम को पाने की हकदार नहीं है याचिका सव्यय निरस्त होने योग्य है।

उत्तरदाता सं०–14 द्वारा अतिरिक्त कथन में अभिवचन किया गया है कि, याचिनी ने गलत तथ्यों के आधार पर बिल्कुल गलत याचिका प्रस्तुत की गयी है जो हर दृष्टिकोण से गलत है एवं खारिज होने योग्य है। विपक्षी/उत्तरदाता नगर पंचायत कैसरगंज के अध्यक्ष पद के चुनाव वर्ष 2023 का प्रत्याशी था। उक्त अध्यक्ष पद का नामांकन, चुनाव व मतगणना व परिणाम पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष व विधिअनुकूल ढंग से संपन्न हुआ जिसमें किसी भी प्रकार की अवैधानिकता व अनियमितता नहीं बरती गई तथा सर्वाधिक मत प्राप्त होने के कारण विपक्षी सं० 1 यूसुफ अली को अध्यक्ष पद पर विजयी प्रत्याशी घोषित किया गया। उक्त चुनाव की मतगणना के दौरान याची अन्य मतगणना से संतुष्ट थी तथा मात्र वार्ड सं०–07 के बूथ सं०–11 तथा वार्ड सं०–10 के बूथ सं०–17 व वार्ड सं०–15 के बूथ सं०–27 तथा बूथ सं०–22 कुल चार बूथों की पुनःमतगणना हेतु प्रार्थनापत्र याचिनी ने आर०ओ० महोदय नगरपंचायत चुनाव कैसरगंज को दिनांक–13.05.2023 को दिया था। जिसे आर०ओ०/एस०डी०एम० कैसरगंज द्वारा स्वीकृत करके उक्त चार बूथों की पुनःमतगणना या चिनी व

उनके मतगणना अभिकर्ताओं की उपस्थिति में कराई गई किंतु पूर्व में की गई मतगणना, पुनःमतगणना के पश्चात् बिल्कुल सही पाई गई, जिससे याची व उनके मतगणना अभिकर्ता ने संतुष्टि भी व्यक्त की। उक्त संबंधित अध्यक्ष पद के चुनाव में कोई करेप्ट प्रैक्टिस नहीं अपनाई गई।

7– उभय पक्ष के अभिवचनों के आधार पर 06 वाद बिन्दु दिनाँकित–06.09.2024 को, अतिरिक्त वाद बिन्दू सं०–07 दिनाक–12.05.2025 को एवं अतिरिक्त वाद बिन्दू सं०–08 दिनांक–01.04.2026 को विरचित किये गये। जो निम्न प्रकार है–

1– क्या विपक्षी संख्या–1 द्वारा याचिका में प्रदर्शित प्रकार से करप्ट प्रैक्टिस एडाप्ट (Corrupt Practice Adopt) कर मतदान व मतगणना को प्रभावित कर चुनाव पर प्रभाव डाला गया है? यदि हां तो प्रभाव?

2– क्या विपक्षी संख्या–1 द्वारा अपने सहयोगियों से सहयोग लेकर, नोटा व अवैध मतों की गिनती अपने पक्ष में पड़े मतों में करा ली गयी है? यदि हाँ तो प्रभाव?

3– क्या मतदाता सूची में एक ही व्यक्ति का नाम दो स्थानों पर दर्ज कराकर, विपक्षी संख्या–1 द्वार उन दोहरे मतदाताओं का मतदान याचिका के प्रस्तर 21, 22 व 26 के ब्यौरे के अनुसार कराकर चुनाव को प्रभावित किया गया है? यदि हाँ तो प्रभाव?

4– क्या मतगणना कर्मियों द्वारा नगर पालिका के (चुनाव के सदस्यों का आचरण) आदेश 1964 में निहित प्राविधानों का उल्लंघन करके मतगणना की गयी है? यदि हाँ तो प्रभाव?

5– क्या चुनाव याचिका आदेश 7 नियम 11 सी०पी०सी० के प्राविधानों से बाधित है?

6– क्या याचिकाकर्ता किसी प्रतिकार को पाने का अधिकारी है?

<u>अतिरिक्त वाद बिन्दु सं०–7 विरचित किया गया–</u>

7– क्या याचिका उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा–19(2)(क) से बाधित है?

<u>अतिरिक्त वाद बिन्दु सं०–8 विरचित किया गया–</u>

8– क्या विपक्षी सं०–1 का चुनाव नामांकन पत्र मय शपथ–पत्र में अपना आपराधिक इतिहास छिपाये जाने के कारण अवैध व शून्य है और याची निर्वाचित घोषित किये जाने योग्य है?

8– याचिकाकर्ता द्वारा मौखिक साक्ष्य में स्वयं को बतौर पी०डब्लू०–1 का मुख्य परीक्षा साक्ष्य शपथ–पत्र एवं प्रति परीक्षा तथा पी०डब्लू०–2 विजय कुमार सिंह का मुख्य परीक्षा साक्ष्य शपथ–पत्र एवं प्रति परीक्षा तथा पी०डब्लू०–3 राघवेन्द्र प्रताप सिंह का मुख्य परीक्षा साक्ष्य शपथ–पत्र एवं प्रति परीक्षा करायी गयी।

9– विपक्षी सं०–1 की तरफ से स्वयं को बतौर डी०डब्लू०–1 का मुख्य परीक्षा साक्ष्य शपथ–पत्र एवं प्रति परीक्षा तथा पूरक शपथ–पत्र व प्रतिपरीक्षा, डी०डब्लू०–2 तौहीद अहमद का मुख्य परीक्षा साक्ष्य शपथ–पत्र एवं प्रति परीक्षा, डी०डब्लू०–3 मन्सूब अली का मुख्य परीक्षा साक्ष्य शपथ–पत्र एवं

प्रति परीक्षा तथा डी०डब्लू०–4 सुरेन्द्र मोहन यादव का मुख्य परीक्षा साक्ष्य शपथ–पत्र एवं प्रति परीक्षा कराया गया।

10– याचिकाकर्ता द्वारा सूची कागज सं०–ग–5/1 के माध्यम से चालान रसीद अकन 500 रूपये की मूल प्रति (कागज सं०–ग–5/2), राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी मतगणना चार्ट–1 (कागज सं०–ग–5/3 ता ग–5/4), मतगणना स्थल पर लगे बोर्ड की कॉपी व कम्प्यूटर कापी चार्ट (कागज सं०–ग–5/4 ता ग–5/6), मतगणना स्थल पर एजेन्ट द्वारा नोट किया गया चार्ट की प्रति (कागज सं०–ग–5/7), नगर पंचायत कैसरगंज के अध्यक्ष पद के लिए नमूना पत्र (कागज सं०–ग–5/8), कैसरगंज नगर पंचायत के वार्ड सं०–5, 10, 11, 12, 13, 14 के वोटर लिस्ट में शामिल मृतकों की सूची (कागज सं०–ग–5/9 ता ग–5/16), वार्ड नं०– 5 व 7 में डबल नाम दर्ज वोटरो की सूची (कागज सं०–ग–5/17 ता ग–5/24), वैराकाजी ग्राम पंचायत के लोगों की परिवार रजिस्टर नकल जो वार्ड नं०–12 बूथ सं०–22 में दर्ज है (कागज सं०–ग–5/25 ता ग–5/26), छायाप्रति प्रार्थना–पत्र 12.05.2023(कागज सं०–ग–5/27), छायाप्रति पुनःमतगणना प्रार्थना–पत्र दिनाँकित–13.05.2023(कागज सं०–ग–5/28), छायाप्रति धांधली से सम्बन्धित प्रार्थना–पत्र मय डाक रसीद दिनाँकित–15.05.2023 (कागज सं०–ग–5/29), कार्यालय एस०डी०ओ० कैसरगंज से प्राप्त प्रार्थना–पत्र की कॉपी दिनाँकित–16.05.2023 सं०–7/2 तथा जबाव दिनाँकित–22.05.2023 की छायाप्रति (कागज सं०–ग–5/30 ता ग–5/31), छायाप्रतियाँ नामांकन प्रपत्र निर्देशित चुनाव आयोग (कागज सं०–ग–5/33 ता ग–5/51), छायाप्रतियाँ राज्य निर्वाचन आयोग को नामांकन प्रपत्र विपक्षी सं०–1 (कागज सं०–ग–5/52 ता ग–5/63) तथा छायाप्रतियाँ मतदाता सूची वार्ड सं०–11, 12, 13 व 14 (कागज सं०–ग–5/63 ता ग–5/126) सूची कागज सख्या ग–51 के माध्यम से छायाप्रित वोटर लिस्ट वार्ड सं०–7 नगर पंचायत (बाजारपुरवा), कैसरगंज बहराइच कागज सं०–ग–51/2 ता ग–51/14, छायाप्रति वोटर लिस्ट वार्ड सं०–5 नगर पंचायत (शाहनपुरवा) कैसरगंज, बहराइच कागज सं०–ग–51/15 ता ग–51/24 तथा सूची कागज सं०–ग–70 के माध्यम से नकल एफ०आई०आर० अ०सं०–715/2015 मय छायाप्रति तहरीर कागज सं०–ग–70/2 ता ग–70/7, नकल आरोप–पत्र बमुकदमा उपरोक्त कागज सं०–ग–70/9, नकल आदेश संज्ञान आरोप पत्र कागज सं०–ग–70/11, नकल एफ०आई०आर० अ०सं०–26/2018 मय छायाप्रति तहरीर कागज सं०–ग–70/12 ता ग–12/15, नकल आरोप पत्र उपरोक्त मुकदमा कागज सं०–ग–70/16 ता ग–70/27, नकल आदेश संज्ञान आरोप पत्र कागज सं०–70/29, छायाप्रति जनसूचना बावत चुनाव आवेदन–पत्र विपक्षी सं०–1 मय समस्त प्रपत्र कागज सं०–ग–70/30 ता ग–70/71, जे०पी०जी० फोटोग्राफ्स फेसबुक पोस्ट विपक्षी सं०–1 कागज सं०–ग–70/72 ता ग–70/79 तथा शपथ–पत्र विजय कुमार सिंह कागज सं०–ग–65/3, दाखिल किये गये हैं।

11– विपक्षीगण द्वारा सूची कागज सं०–ग–69/1 के द्वारा नकल सुलहनामा दिनाँकित–04.04.2019, न्यायालय सी०जे०एम०, बहराइच सरकार बनाम मन्सूब अली आदि कागज सं०–ग–69/2 ता ग–69/4, नकल आदेश दिनाँकित–04.04.2019 न्यायालय सी०जे०एम०, बहराइच

सरकार बनाम मन्सूब अली आदि कागज सं०–ग–69/5 ता ग–69/6, छायाप्रति केस डायरी पर्चा नं०–SCD(VI) अपराध सं०–715/2015 अन्तर्गत धारा–323, 143, 352, 427, 504, 506 आई०पी०सी० थाना–कैसरगंज बहराइच कागज सं०–ग–69/7 ता ग–69/8, दाखिल किया है।

12– याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विपक्षी सं०–1 के द्वारा विपक्षी सं०–26 ता 30 से साँठ–गाँठ कर मतदान में मतगणना को करप्ट प्रैक्टिस कारित की व करायी गयी है जिससे गम्भीर अनियमितताएं हुई जिससे चुनाव प्रभावित हुआ। यह भी तर्क दिया है कि विपक्षी सं०–26 ता 28 के द्वारा मतगणना के समय अवैध व नोटा मतों को सार्वजनिक नहीं किया गया और न ही याचिकाकर्ता के एजेण्ट को बताया गया। यह भी तर्क दिया गया है कि विपक्षी सं–1 ने अपने आपराधिक रिकार्ड को छिपाकर अपने नामांकन पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ–पत्र में उसके विरुद्ध लम्बित आपराधिक मामलों को छिपाया है जिस कारण उसका चुनाव शून्य घोषित किये जाने योग्य है तथा यह भी तर्क दिया है कि, विपक्षी सं०–1 का चुनाव निरस्त कर याचिकाकर्ता को अध्यक्ष पद पर निर्वाचित घोषित किया जाये। यह भी तर्क दिया है कि चुनाव में कुल 25 उम्मीदवार थे जबकि नोटिस बोर्ट पर 26 उम्मीदवारों के मतों का विवरण अंकित किया गया है। यह भी तर्क दिया गया है कि नामांकन पत्र व शपथ–पत्र जो फार्म सं०–7 पर था जिसे मिसलीडिंग करके भरा गया है जिसमें तीन बातों का विशेष उल्लेख किया जाना था। 1– आपराधिक कृत्य के लिए दोषसिद्ध, 2 उनमोचित व दोषसिद्ध, 3 आरोपित फार्म 7 में सूचनायें सहीं नहीं दी गयी यदि दी जाती तो क्षेत्र के लोग विपक्षी सं०–1 को उसके आपराधिक रिकार्ड के कारण वोट न देते। विपक्षी सं०–1 ने तथ्यों को छिपाकर अपना नामांकन मय शपथ–पत्र दिया है, जो मतगणना की अनियमितता व आपराधिक रिकार्ड के आधार पर अवैध घोषित किया जाये। यह भी तर्क दिया है कि मतदाता सूची में एक आदमी का नाम कई बार उसी वार्ड व अन्य वार्ड में विपक्षी सं०–1 ने दर्ज कराया और मृत्यु लोगों के भी वोट अपने मेली मद्दगारों से विपक्षी सं०–26 ता 30 से मिलकर डलवायी है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालयों की निम्न विधि व्यवस्थाओं पर विश्वास व्यक्त किया है।

1– Poonam vs. Dule Singh, 2025 INSC 1284 (SC).

2– Krishnamoorthy vs. Shiv Kumar and others, AIR 2015 SC.

3–Kisan Shankar Kathore vs. Arun Dattatray Sawant and others. AIR 2014 SC 2069.

4– S.P. Chengalvaraya Naidu (Dead) vs. Jagannath (Dead), AIR 1994 SC 853.

13– उपरोक्त तर्कों के खण्डन में विपक्षी सं०-1 के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि, याचिका सामान्य एवं वेग तथ्यों पर आधारित है कोई विशेष प्ली नहीं ली गयी है। यह भी तर्क दिया है कि, वोटर लिस्ट को साबित नहीं किया है तथा जिन लोगों का नाम दो बार बताया जा रही है क्यों उन लोगों ने मतदान में भाग लिया? यह साबित करने का भार याचिकाकर्ता पर था। यह भी तर्क दिया है कि वोटर लिस्ट में किसी त्रुटि के कारण चुनाव परिणाम पर प्रभाव नहीं पड़ेगा उसके सम्बन्ध में याचिका दाखिल करने से धारा-19(2)(b)

वर्जित करता है इस सम्बन्ध में वादबिन्दु सं०-07 भी विरचित किया गया है। यह भी तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता के द्वारा किसी भी कागजात को साबित नहीं किया है। सूची ग-5 से दाखिल कागज ग-5/5 जोकि स्वयं निर्मित कागज है जिसे साबित नहीं किया है। ग-5/6 ता ग-5/7 मोबाइल से लिए गये फोटोग्राफ है जबकि मतगणना के स्थान पर मोबाइल ले जाना मना था तो ये फोटो कैसे खीचे गये न हीं किसके द्वारा लिये गये साबित किया है। ग-5/9 मृतको की सूची कहाँ से प्राप्त की किसी के हस्ताक्षर नहीं है न ही मृतको के मृत्यु प्रमाण पत्र दाखिल किये है जिससे यह साबित हो कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। ग-5/25 ता ग-25/27 छायाप्रतियाँ है जो द्वितीयक साक्ष्य है। शिव नारायन चौरसिया विपक्षी सं०-24 का छायाप्रति पत्र दाखिल किया है न तो उसे साबित किया है न ही शिव नरायन चौरसिया मामले में परीक्षित हुए है। उन्होने अपने आपत्ति/जवाबदावा ए-9 के पैरा 34 में एजेंट फार्म सं०-34 भरे जाने का उल्लेख किया है उसे किसके द्वारा भरा गया यह दर्शित नहीं किया है। यह भी तर्क दिया है कि मामले को बनाने के लिए याचिकाकर्ता के द्वारा कागज सं०-ग-5/28 को रसीद दिनांकित-15.05.2023 से भेजा जाना कहा है जबकि उसके जवाब में सम्बन्धित अधिकारी द्वारा सादा पेपर भेजे जाने का उल्लेख करते हुए जवाब भेजा है। यह भी तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता के पिता पी०डब्लू०-2 जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके है। उनके द्वारा वेबसाइड पर और बोर्ड पर क्या अलग-2 लिखा था साबित नहीं किया गया है। यह भी तर्क दिया है कि, नियम 22 (1) उत्तर प्रदेश नगरपालिका (सदस्यों, पार्षदों, अध्यक्षों और महापौरों के चुनाव) नियम, 2010 में विशेष उपबन्ध दिये गये है किसी अधिनियम में दिये गये विशेष उपबन्धों के अनुसार ही उस पर संज्ञान लिया जा सकता है जिसमें दोषसिद्धि व आरोप विरचित होने का उल्लेख किया गया है। यह भी तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता द्वारा जो आपराधिक मामले दर्शित किये गये है उनमें से मु०अ०सं०-715/2015 में समझौता हो चुका है, जो न्यायालय द्वारा सत्यापित किया जा चुका है। परन्तु उसमें आरोप विरचित नहीं हुआ है तथा दूसरा मामला अपराध सं०-26/2018 की उसे कोई जानकारी नहीं रही है। याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल किये गये कागजात से उस मामले की जानकारी हुई है जिसमें भी विपक्षी सं०-1 के विरूद्ध न तो आरोप बना है और न ही वह दोषसिद्ध हुआ है।

विपक्षी सं०-1 के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालयों की निम्न विधि व्यवस्थाओं पर विश्वास व्यक्त किया है।

1– Vadivelu vs. Sundarram and others, AIR 2000 SC 3230

2– Amit Narayan Rai vs. State of U.P. and others, 2012 (All.) C.J. 1373.

3– Ashok Kumar vs. Upper Distt. Judge Court no.4 Raebareli and others, 2019 (144) RD 727.

4– Mahendra Pal vs. Sri Ram Dass Malanger and others, 2002 (20) LCD 993.

5– Kattinokkula Murali Krishna vs. Veeramulla Koteswara Rao and others, 2010 (28) LCD 216.

6– Kalyan Singh Chouhan vs. C.P. Joshi, 2011 (29) LCD 512.

7– Karikho Kri vs. Nuney Tayang and another, AIR 2024 SC 2121.

8– Ram Samujh Singh vs. SDO, Salon and another, 1989(7) LCD 182.

9– Kali Prasad vs. Prescribed Authority (S.D.O. Pratapgarh and another, 1980 All. L. J. 378.

उपरोक्त विधि व्यवस्थायों का ससम्मान अवलोकन किया इनका उल्लेख यथासम्भव स्थान पर किया जायेगा।

14– मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री नगेन्द्र खरे, एडवोकेट हाई कोर्ट, व उनके साथी श्री अरबिन्द कुमार मिश्रा तथा विपक्षी सं०–1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री गया प्रसाद मिश्रा को सुना पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

15– उभय पक्ष के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का सूक्षमता से परिशीलन किया। उभय पक्षों के अभिवचनों के आधार पर याचिका में मूल 06 वादबिन्दु बनाये गये तथा उसके पश्चात 02 अतिरिक्त वादबिन्दु बनाये गये। कुल 08 वादबिन्दु विरचित किये गये हैं, जिनका निस्तारण बिन्दुवार रूप से किया जा रहा है।

<u>निष्कर्ष</u>

निस्तारण वादबिन्दु सं०–1, 2 व 3:–

16– वादबिन्दु सं०–1, 2 व 3 इस आशय के विरचित किये गये हैं कि, 1–क्या विपक्षी संख्या–1 द्वारा याचिका में प्रदर्शित प्रकार से करप्ट प्रैक्टिस एडाप्ट (Corrupt Practice Adopt) कर मतदान व मतगणना को प्रभावित कर चुनाव पर प्रभाव डाला गया है? यदि हां तो प्रभाव? 2– क्या विपक्षी संख्या–1 द्वारा अपने सहयोगियों से सहयोग लेकर, नोटा व अवैध मतों की गिनती अपने पक्ष में पड़े मतों में करा ली गयी है? यदि हाँ तो प्रभाव? 3– क्या मतदाता सूची में एक ही व्यक्ति का नाम दो स्थानों पर दर्ज कराकर, विपक्षी संख्या–1 द्वार उन दोहरे मतदाताओं का मतदान याचिका के प्रस्तर 21, 22 व 26 के ब्यौरे के अनुसार कराकर चुनाव को प्रभावित किया गया है? यदि हाँ तो प्रभाव?

उपरोक्त तीनों वादबिन्दु एक दूसरे से सम्बन्धित हैं इसलिए उनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। याचिकाकर्ता द्वारा याचिका में यह आधार लिया गया है कि विपक्षी सं०–1 द्वारा मतदान व मतगणना को अपने सहयोगियों से सहयोग लेकर नोटा व अवैध मतों की गिनती अपने पक्ष में पड़े मतों में करा ली तथा कुछ व्यक्तियों का नाम दो स्थानों पर दर्ज कराकर चुनाव को प्रभावित कर विजयी घोषित हुआ है। अपने आधारों के समर्थन में याची की ओर से तीन गवाह प्रस्तुत हुए जिनमें याची स्वयं पी०डब्लू०–1 परीक्षित हुई तथा दो एजेण्ट पी०डब्लू०–2 विजय कुमार सिंह व पी०डब्लू०–3 राघवेन्द्र प्रताप सिंह परीक्षित कराये।

17– पी०डब्लू०–1 कु० विजय पुष्पम सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा साक्ष्य शपथ–पत्र में याचिका में दिये गये आधारों का समर्थन करते हुए अपना साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। इस साक्षी से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह किये जाने पर साक्षी ने (पृष्ठ ए–29/1) में कथन किया है कि, मेरे पिता जी की एक प्रभावशाली राजनैतिक व्यक्तियों में है। मैंने अपने साक्ष्य में शपथ–पत्र दिया है। इस शपथ–पत्र को मेरे पिता जी ने लिखवाया था। मैंने बहराइच आकर इस शपथ–पत्र पर अपने हस्ताक्षर बनाये थे। मैंने इस शपथ–पत्र को पढ़ा था। इसमें जो भी लिखा है उसकी थोड़ी बहुत जानकारी मुझे है।

मैं जिला पंचायत अध्यक्ष पद की उम्मीदवार थी। मुझे लेकर के कुल 26 उम्मीदवार थे। मैं सभी उम्मीदवारों को कितने–2 वोट अलग–अलग मिले नहीं बता पाऊंगी। सभी उम्मीदवारों को सरकारी वेब साइट पर कितने–कितने मत अलग–अलग दिखाये गये, नहीं मालूम।

गवाह ने आगे जिरह में (पृष्ठ ए–29/2) पर कथन किया है कि सरकारी वेब साइट पर मेरे 4062 मत दिखाये गये थे। मतगणना के समय बोर्ड पर कितने मत दिखाये गये, मैं नहीं बता पाऊंगी। यूसुफ अली को सरकारी वेब साइट पर कुल 4307 मत दिखाये गये थे। यह मैं नहीं बता पाऊंगी कि मतगणना के समय बाहर बोर्ड पर यूसुफ अली के कितने मत दिखाये गये थे लकिन सरकारी वेब साइट और बोर्ड पर लिखे मतों की संख्या अलग–2 थी। मैं नहीं बता पाऊंगी कि सरकारी वेब साइट और बोर्ड पर लिखे मतों में कितने का अन्तर था। चुनाव के नामांकन के समय मैं वहाँ उपस्थित थी। नामांकन के समय मैंने किसी भी प्रत्याशी के सम्बंध में कोई आपत्ति नहीं की थी।

18– इस साक्षी की शेष जिरह दिनांक–13.11.2024 को अंकित की गयी जिनमें साक्षी ने कहा कि दिनांक–04.05.2023 मतदान हुआ था। इस मतदान में कितने बूथ संख्या में थे, इस समय मैं नहीं बता पाऊंगी। मतदान में गड़बड़ी हुई थी। मतदान में गड़बड़ी वार्ड नं०–5, 10, 11, 12, 13 व 14 में हुई थी। हर बूथ पर जो मैंने ऊपर बताया है उसमें अलग–अलग बूथों पर क्या गड़बड़ी हुई, मैं नहीं बता पाऊंगी। जो मृतक व्यक्ति थे उनके भी वोट पड़े थे, यही गड़बड़ी थी। पूरे मतदान में लगभग 200 से ज्यादा ही मृतक व्यक्तियों के वोट पड़े है तथा कुछ लोग दो–दो बार वोट अलग–अलग बूथो पर डाले थे। इसके अलावा मतदान में और कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि जिन मृतक व्यक्तियों के नाम पर वोड पड़े है वोटर लिस्ट में उनका नाम था या नहीं। इस सम्बन्ध में उस समय पोलिंग ऑफीसर के पास मेरे द्वारा आपत्ति की गयी लेकिन उस समय कोई कार्यवाही नहीं हुई। मुझे याद नहीं है कि किसी उच्च अधिकारी को इस सम्बन्ध में कोई शिकायत की गई या नहीं। यह आपत्ति स्वयं मेरे द्वारा दी गयी थी। यह मुझे याद नहीं है कि एक ही आपत्ति दी गई थी या कई आपत्तियाँ दी गयी थी। मेरी आपत्ति किसी–किसी बूथ के सम्बन्ध में की गई थी, सभी बूथों के सम्बन्ध में नहीं दी गई थी फिर कहा कि सारे बूथों के मतदान के सम्बन्ध में आपत्तियों की प्रतियाँ थी जिन्हे पोलिंग ऑफीसर ने रिसीव भी किया ता। वह प्रतियाँ या तो मेरे घर पर होगी या फाइल में होगी, मुझे याद नहीं है। आपत्तियओं की प्रतियाँ मैंने इस फाइल में दाखिल किया या नहीं, मुझे याद नहीं है। किन–किन लोगों ने मृतक व्यक्तियों के नाम पर मतदान किया मैं उनका नाम नहीं जानती।

साक्षी ने आगे (पृष्ठ ए–30/2) पर कहा है कि मैंने अपने नामांकन से पहले अन्तिम प्रकाशित वोटर लिस्ट देखी थी। मेरे डैडी ने अन्तिम प्रकाशित मतदाता सूची देखी थी, मैंने नहीं देखी थी। मेरे डैडी ने देखा होगा तो जरूर आपत्ति किया होगा। मैं यह नहीं बता पाऊंगी कि डैडी द्वारा प्रस्तुत की गयी आपत्ति निस्तारित हुई कि नहीं।

इस साक्षी से शेष जिरह दिनांक–28.11.2024 को बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिसमें साक्षी ने (पृष्ठ ए–31/1) पर कहा कि, मैंने अपने चुनाव से सम्बन्धित वोटर लिस्ट की नकलें अपने नामांकन के समय देखी थी। ये लिस्टें मैंने नामांकन के पहले देखी थी। मैं वोटर लिस्ट की नकले जो देखा था उससे मैं संतुष्ट थी, इसलिए कोई आपत्ति नहीं की थी।

साक्षी ने आगे कहा है कि मुझे स्वयं इस बात की जानकारी नहीं है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के बारे में नामांकन के पहले कोई आपत्ति किसी उच्चाधिकारी को की गयी या नहीं। मैंने नामांकन दाखिल किया व विपक्षी सं०–1 यूसुफ अली व अन्य उम्मीदवारों के नामांकन सही थे इसलिए सही पाये गये। सभी उम्मीदवरों के सही नामांकन थे इसलिए किसी आपत्ति की आवश्यकता नहीं थी। मैंने या किसी अन्य ने कोई आपत्ति नहीं की।

गवाह ने आगे इसी पृष्ठ पर कहा है कि मैंने पत्रावली पर वार्ड सं०–5, 10, 11, 12, 13 व 14 की वोटर लिस्ट दाखिल की है। वार्ड सं०–5 में कितने मृतक व्यक्तियों के नाम थे मुझे ये नहीं पता। मैं वार्ड सं०–10, 11, 12, 13 व 14 में भी कितने–कितने मृतक व्यक्तियों का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है ये भी नहीं बता पाऊंगी। मैं ये नहीं बता पाऊंगी कीविजयी घोषित मृतक एवं जिंदा लोगों के नाम वोटर लिस्ट में दर्ज होने के सम्बन्ध में किससे जानकारी किया और कैसे किया, फिर कहा कि इस सम्बन्ध में डैडी को पता होगा। मुझे याद नहीं है कि चुनाव के दौरान हुए मतदान में विपक्षी यूसुफ अली व अन्य उम्मीदवारो द्वारा कोई मतदान में अवरोध उत्पन्न किया गया या नहीं। यह याचिका मैंने चुनाव मतदान व किसी अन्य गड़बड़ी के सम्बन्ध में नहीं दायर किया है बल्कि **मतगणना** में हुई गड़बड़ीयों के कारण दायर किया है। **मैं केवल इतना चाहती हूं कि दोबारा मतगणना हो जाये।**

19– साक्षी ने आगे कहा है कि मतगणना नें ये गडबड़ी हुई की अवैध व नोटा के वोटो को विपक्षी सं०–1 यूसुफ अली में रख कर गिन दिये गये। मुझे नहीं पता है कि कितने अवैध मतों को तथा मुझे यह भी नहीं पता है कि कितने नोटा वोट यूसुफ अली विपक्षी सं०–1 में रख कर गिन दिये गये, फिर कहा कि मुझे याद नहीं है। मुझे मतगणना सम्बन्धित सभी गड़बडियों को मैंने बता दिया है, और कोई गड़बड़ी याद नहीं है। दिनांक–13.05.2023 को मतगणना हुई थी किस समय मतगणना शुरू हुई यह याद नहीं है फिर कहा 08 बजे सुबह से शुरू हुई थी। मतगणना लगभग शाम के 07 बजे तक चली। उसी दिन शाम 07 बजे के बाद परिणाम घोषित हुआ। यह याद नहीं है कि 07 बजे के 5–10 मिनट के बाद, आधे घण्टे के अन्दर परिणाम घोषित कर दिया गया। मैंने मतगणना के बाद आपत्ति दिया था। मुझे यह याद नहीं है कि मैंने किसको आपत्ति दी थी। मेरी आपत्ति के बाद दोबारा मतगणना नहीं हुई। मतगणना रिजल्ट घोषित करने के पूर्व मौके पर एस०डी०एम० व डिस्टिक मजिस्ट्रेट गये थे उनके जाने के बाद भी मतगणना दोबारा नहीं हुई। वहीं विपक्षी सं०–14 के द्वारा अपने आपत्ति/जवाबदावे (कागज सं०–ए–25) में अतिरिक्त कथन के दफा 33 में पृष्ठ ए–25/4 पर यह अभिवचन किया है कि उक्त चुनाव की मतगणना के दौरान याची अन्य मतगणना से संतुष्ट थी तथा मात्र वार्ड सं०–07 के बूथ सं०–11 तथा वार्ड सं०–10 के बूथ सं०–17 व वार्ड सं०–15 के बूथ सं०–27 तथा बूथ सं०–22 कुल चार बूथों की पुनःमतगणना हेतु प्रार्थनापत्र याचिनी ने आर०ओ० महोदय नगरपंचायत चुनाव कैसरगंज को दिनांक–13.05.2023 को दिया था। जिसे आर०ओ०/एस०डी०एम० कैसरगंज द्वारा स्वीकृत करके उक्त चार बूथों की पुनःमतगणना या चिनी व उनके मतगणना अभिकर्ताओं की उपस्थिति में कराई गई किंतु पूर्व में की गई मतगणना, पुनःमतगणना के पश्चात् बिल्कुल सही पाई गई, जिससे याची व उनके मतगणना अभिकर्ता ने संतुष्टि भी व्यक्त की। उक्त के सम्बन्ध में याचिकाकर्ता के द्वारा कोई प्रतिआपत्ति/रेप्लिका दाखिल नहीं की है जिससे उक्त तथ्य का खण्डन हो सके। उक्त से यह स्पष्ट हो रही है कि

याचिनी के द्वारा जो पुनःमतगणना हेतु याचना की है उसके इस तर्के के परिप्रेक्ष्य में Uttar Pradesh Municipalities (Conduct of Election of presidents and election petitions) order, 1964 के नियम 29 जो पुनःमतगणना से सम्बन्धित है, में यह उपबन्धित किया गया है कि, रिटर्निंग ऑफीसर स्वयं या किसी उम्मीदवार के आवेदन पर पुनःमतोंगणना करा सकता है। उक्त उपबन्ध के साथ एक परन्तुक लगा है जो आर०ओ० को एक बार से अधिक पुनः मतगणना से निवारित करता है।

> 29. Re–counting.– The Returning Officer may, either on his own initiative or at the instance of any candidate re–count votes, whether once or more than once when the Returning Officer is not satisfied as to the accuracy of a previous counting:
> Provided that nothing herein contained shall make it obligatory on the Returning Officer to re–count the same votes more than once.

20– पी०डब्लू० 2 विजय कुमार सिंह जो याचिकाकर्ता का प्रतिनिधि था तथा याचिकाकर्ता का पिता है उसके द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा योजित याचिका के आधारों का समर्थन करते हुए मुख्य परीक्षा शपथ पत्र दाखिल किया है तथा उक्त साक्षी से विपक्षी सं०–1 द्वारा जिरह की गयी। जिरह में साक्षी ने (पृष्ठ ए–33/1) पर साक्ष्य दिया है कि नगर पंचायत कैसरगंज के अध्यक्ष पद पर मेरी पुत्री विजय पुष्पम सिंह प्रत्याशी थी। इनके अलावा 25 और प्रत्याशी थे। मैं विजय पुष्पम सिंह का चुनाव प्रतिनिधि हूँ। उनकी तरफ से चुनाव संबंधी काम–धाम हम ही देखते थे। इस पत के नामांकन के लगभग के लगभग 1 सप्ताह पहले मतदाता सूची प्रकाशित हुई थी। मैंने मतदाता सूची देखी थी। मतदाता सूची पर मैंने मतदाता सूची के विरुद्ध आपत्ति दाखिल की थी। मैंने सम्भवतः 03 आपत्तियाँ की। ये तीनों आपत्तियाँ मेरे अलग–अलग वार्ड के सम्बन्ध में थी। पहली आपत्ति में मैंने वार्ड सं०–11 व 12 की, की थी, दूसरी आपत्ति में लगभग वार्ड सं०–05, 06, 13 व 14 की, की थी। मेरी तीसरी आपत्ति मैंने किसी वार्ड के सम्बन्ध में नहीं की थी बल्कि जनरल आपत्ति इस बावत थी कि वोटरों की संख्या पहले लगभग 18000/– की थी लेकिन परिवर्तित सूची में संख्या लगभग 25000/– से ऊपर की कर दी गयी। मैंने तीसरी आपत्ति में लगभग 200 आदमियों के नाम के गलत दर्ज होने क्योंकि वह दूसरे ग्राम चुनाव के लोग थे। मैं इस समय उन 200 लोगों का नाम नहीं बता सकता हूँ। पहली आपत्ति में जिसमें कुछ मृतक व्यक्तियों के तथा दूसरे गांव सभा के लोग थे तथा उनका नाम कुछ लोग के नाम डबल दर्ज थे। इस आपत्ति में लगभग 300 व्यक्तियों के सम्बन्ध में दी थी। इनमें अय्यूब अली के नाम दो जगह दर्ज है। बाकी लोगों के संबंध में मैं नहीं बता पाऊंगा इस समय मेरी दूसरी आपत्ति में भी जो ऊपर कमियाँ मैंने बताया है इन्ही के सम्बन्ध में है यह आपत्तियाँ मैंने उपजिलाधिकारी कैसरगंज को दिया था। तारीख मुझे याद नहीं है। उपजिलाधिकारी कैसरगंज का न्यायालय व ऑफिस मेरे आवास से लगभग 500 से 700 मी० की दूरी पर है। मेरी एक आपत्ति एस०डी०एम० कैसरगंज के स्टेनो द्वारा लिया गया था। रिसीविंग दी गयी थी। <u>उन्होने जाँच पड़ताल कराया इसके बाद कुल मतदाता की सं०–27000/– से ऊपर करके अंतिम सूची बना दी और उसी सूची का प्रकाशन कर दिया।</u> जिसके विरुद्ध में डी०एम० साहब से मिला उन्होने आश्वासन दिया कि मैं जाँच पड़ताल कराऊंगा और मतदान के पहले अंतिम

सूची प्रकाशित करूंगा लेकिन डी०एम० साहब ने भी कुछ नहीं किया फिर मैं किसी उच्च अधिकारी के समक्ष कोई शिकायत नहीं किया क्योंकि मैं चुनाव प्रचार में व्यस्त हो गया।

21– साक्षी ने आगे (पृष्ठ ए–33/2) पर कहा है कि नामांकन के समय मैं प्रत्याशी विजय पुष्पम सिंह के साथ नहीं गया था। नामांकन की तिथि मुझे ठीक से याद नहीं। मैंने नामांकन के संबन्ध में किसी प्रत्याशी के विरूद्ध कोई आपत्ति नहीं किया। मतदान किस तिथि पे हुआ यह मुझे याद नहीं। मतदान में कुल 15000 कुछ मत पड़े। मुझे इक्जैक्ट फीगर नहीं याद है। कुल 11 जगहों पर मतदान हुआ। सभी मतदान स्थलों का मतदान वाले दिन मैंने भ्रमण किया था। मतदान सभी स्थानों पर केवल ऐनी को छोड़कर शान्तिपूर्वक सम्पन्न हुआ। ऐनी में मतदान स्थल पर कुछ डबल वोट पड़ रहे थे। जिस पर कुछ बावाल हुआ था। डी०एम० साहब स्वयं पहुंचे थे। मामला शान्त हो गया। उसके बाद शान्तिपूर्वक मतदान हुआ।

साक्षी की शेष जिरह दिनांक–16.01.2025 को अंकित की गयी जिसमें साक्षी ने (पृष्ठ ए–34/1) पर कहा है कि मतगणना दिनांक–13.05.2023 को हुई थी। मतगणना उसी दिन समय 07:30 am बजे मतगणना स्थल पर इन्ट्री लिए थे 08:00 बजे सुबह मतगणना शुरू हो गयी थी। मतगणना शुरू होने के समय मतगणना की प्रबन्ध व्यवस्था सही नहीं थी। मतगणनाकर्मियों द्वारा मत पेटिका सीधे मतगणना के ऊपर ले आयी गयी और मतगणना के लिए मतपेटिका की सील तोड़ दी गयी किसी भी ऐजेंट को या प्रत्यासी को सील तोड़ने के पहले दिखाई नहीं गयी। मतगणना के समय किस प्रत्यासी को कितने मत मिले है ये बताया जा रहा था कितने इनवैलिड है कितने नोटा के है ये नहीं बताया जा रहा था। हम लोगों के पूंछने पर यह बताया जा रहा था कि इनवैलिड और नोटा वोटों को बाद में बताया जायेगा। इसके अलावा और कोई मतगणना में गड़बड़ी नहीं की गयी।

साक्षी ने आगे इसी पृष्ठ के दूसरे पैरे में कथन किया है कि टेबुल पर बताये गयी संख्या के आधार पर मेरा प्रत्याशी जीत रहा था जबकि बोर्ड पर दिखाये गये संख्या के आधार पर हार रहा था। टेबुल पर मेरे प्रत्याशी का मत लगभग 4059 था और युसुफ अली विपक्षी सं०–1 का मत 3900 कुछ था। मैं इग्जेक्ट नहीं बता पाऊंगा कि दोनों प्रत्याशियों के मत कितने–कितने थे। बोर्ड पर मेरे प्रत्याशी का मत 4062 दिखाया गया और युसुफ अली विपक्षी सं०–1 का मत 4300 कुछ दिखाया गया। जो टेबुल पर मतगणना के समय मतों की संख्या बताई गयी थी उसे मैंने नोट किया था। सभी टेबुल के एजेण्ट अलग अलग मुझे लाकर देते थे और मैं उसे नोट करता था। इसी आधार पर मैंने जाना कि मेरे प्रत्याशी के अधिक वोट थे और विपक्षी सं०–1 युसुफ अली के कम वोट थे। इसके अलावा मतगणना की अन्य कोई कमी नहीं थी और इसी आधार पर मैंने याचिका दायर किया। मतगणना में कोई गड़बड़ी न हुई होती तो मुझे याचिका दायर करने की आवश्यकता न पड़ती।

साक्षी ने आगे इसी पृष्ठ पर आखिरी पैरे में कतन किया है कि मैंने मतगणना की गड़बड़ी के सम्बन्ध में आर०ओ० से लिखित शिकायत की थी। यह शिकायत मैंने लगभग 7–8 बजे रात में की थी तब तक मतगणना का काम खत्म हो गया था। रिजल्ट घोषित नहीं किया गया था तब आर०ओ० साहब ने कहा कि डी०एम० साहब से बात कर रहा हूं और पुलिस वालों को बुलाकर मुझे व मेरे एजेण्टों को भी बाहर कर दिया तब मैं व मेरे एजेण्ट वहां से चले आये उसके बाद परिणाम घोषित कर दिया गया।

डी०एम० साहब खुद नहीं गये थे बल्कि सी०डी०ओ० गये थे। सी०डी०ओ० मतगणना के दौरान गये थे। सी०डी०ओ० के पहुंचने पर तीन राउण्ड पूरे हो गये थे। सी०डी०ओ० से मैंने कोई मतगणना की शिकायत नहीं की थी।

22– इस साक्षी से दिनांक–11.02.2025 को शेष जिरह की गयी जिरह में साक्षी ने पृष्ठ ए–35 पर कथन किया है कि सम्बन्धित चुनाव की मतगणना दिनांक–13.05.2023 को सुबह 08:00 बजे प्रारम्भ हुई थी। मतगणना स्थल पर मैं मौजूद था। मैं नहीं बता पाउंगा कि मतगणना में अलग–अलग राउंड में कुल कितने मत विजय पुष्पम सिंह को मिले और कितने मत विपक्षी सं०–1 युसुफ अली को मिले। अलग अलग कितने अन्य प्रत्याशियों को कितने–कितने मत मिले मैं नहीं बता पाउंगा। विजय पुष्पम सिंह के मतगणना एजेण्टों में से किस–किस एजेण्ट ने कितनी कितनी मतों की संख्या का चार्ट दिया, मैं नहीं बता पाउंगा। चौथे, पाँचवे राउंड की मतगणना में मतों की संख्या बोर्ड पर न लिखे जाने की बात मैंने बतायी है। पहले व तीसरे राउंड तक की संख्या बोर्ड पर लिखी गयी थी। चौथे और पाँचवे राउंड की संख्या बोर्ड पर नहीं लिखी गयी थी, जिसकी मैंने शिकायत आर०ओ०/उपजिलाधिकारी से की थी, कोई लिखित शिकायत नहीं दिया था। उन्होने मौखिक कहा था

साक्षी ने इसी पृष्ट पर उसके एजेंटो द्वारा प्रस्तुत चार्ट व बोर्ड पर अंकित मतो की संख्या में लगभग 300 से अधिक का अन्तर होना कहा है आगे यह भी कहा है कि मतगणना स्थल पर मतगणना के लिए कुल पाँच टेबुल लगाई गयी थी। एक मतगणना टेबुल पर सात मतगणनाकर्मी बैठे थे। प्रत्येक टेबुल पर सात मतगणनाकर्मी थे। इन मतगणनाकर्मियों से मेरी कोई दुश्मनी व रंजिश नहीं थी।

याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत तीसरा साक्षी पी०डब्लू०–3 राघवेन्द्र प्रताप सिंह जो याचिकाकर्ता का मतगणना एजेण्ट था ने अपने मुख्य परीक्षा शपथ–पत्र में याचिका का समर्थन करते हुए अपना मुख्य परीक्षा शपथ–पत्र दाखिल किया है। साक्षी से जिरह की गयी जिसमें उसने कहा कि वह किसान है और वकालत का कार्य भी करता है। विजय पुष्पम को 20–24 साल से जानता है। उसके परिवार को भी जानता है परन्तु उसके परिवार से सम्बन्ध न होना कह रहा है। उसने याची के चुनवा का सारा कार्य नहीं देखा था वह प्रचार में सम्बन्धों की वजह से जाता था उसे उसकी को फीस नहीं मिला। विजय पुष्पम सिंह ने उसे अपना मतगणना एजेन्ट बनाया था।

साक्षी ने आगे कहा कि उसे इस बात की भी जानकारी नहीं है कि याचिकाकर्ता ने नामांकन प्रक्रिया में कोई आपत्ति किया या नहीं। साक्षी ने इस जानकारी से भी इंकार किया कि नामांकन के कितने दिन बाद मतदाता सूची का प्रदर्शन हुआ था। मतदाता सूची में गड़बड़ी हुई थी, इसकी मुझे जानकारी है। किन–किन वार्डों में मतदाता सूची में गड़बड़ी हुई उसे मैं बता सकता हूँ। यह जानकारी मुझे विजय पुष्पम सिंह के पिता द्वारा तहसील कैसरगंज में दी गयी। यह गवाह साक्षी पी०डब्लू०–2 से आपत्ति के सम्बन्ध में सुनी हुई बातो पर साक्ष्य दिया है।

23– इस साक्षी से शेष जिरह दिनांक–25.03.2025 को की गयी, जिसमें साक्षी ने कहा है कि, उसे मतगणना के सम्बन्ध में जानकारी है। अन्य चुनाव प्रक्रिया के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है। मतगणना स्थल कैसरगंज मण्डी परिषद था। लगभग 8 बजे प्रातः से मतगणना का कार्य प्रारम्भ हो गया था। मतगणना के 5 काउंटर लगाये गये थे। मैं काउंटर नम्बर 01 का एजेंट था। इस काउंटर पर मैं

अकेला एजेण्ट था। मतगणना काउंटरो पर एजेंटों के खड़े होने की व्यवस्था थी। मतगणना काउंटर से मैं 4 फीट की दूरी पर था। जहाँ मैं खड़ा था वहां से मतगणना कार्यवाही मुझे स्पष्ट दिखाई पड़ रही थी। मैं चश्मा लगा भी लेता हूं नहीं भी लगाता हूँ। जब पढ़ने की आवश्यकता होती है तब चश्मा लगाता हूँ। मतगणना के समय मैं चश्मा नहीं लगाये हुए था। इस मतगणना के अलावा मैंने अपनी पत्नी के प्रधानी के चुनाव में मतगणना कराई थी। इस मतगणना में काउंटर नम्बर एक पर जहाँ मैं एजेंट था उस पर किस–किस वार्ड की मतगणना हुई, मैं नहीं बता पाऊंगा। मतगणना के समय मैंने चार्ट बनाया था। वह चार्ट विजय कुमार सिंह के पास है। मैं अलग–अलग नहीं बता पाऊंगा कि काउंटर नम्बर एक पर विजय पुष्पम को कितने मत पत्र मिले तथा अन्य पक्षकारों (प्रत्याशियों) को कितने मत मिले। मैं नहीं बता पाऊंगा कि काउंटर नम्बर एक पर कितने किस प्रत्याशी को कितने वैद्य मत पत्र मिले और कितने नोटा के मतपत्र निकले क्योंकि नोटा व अवैद्य मत पत्रों को दिखाया ही न गया। नोटा और अवैध मत पत्रों को मैंने जानने की कोशिश की लेकिन वहाँ बैठे कर्मचारियों ने बताया कि बाद में दिखाया जायेगा लेकिन बाद में दिखाया नहीं गया। इस सम्बन्ध में मैंने कोई लिखित शिकायत किसी अधिकारी को नहीं थी।

साक्षी से शेष जिरह दिनांक–02.04.2025 को की गयी जिसमें साक्षी ने कथन किया है कि, मैं काउण्टर संख्या 01 मतगणना पूरी होने तक रहा। बाकी रिजल्ट डिक्लेरेशन के समय मैं नहीं था। मतगणना के दौरान मैं अन्य काउण्टर पर नहीं गया था। मतगणना के अन्य काउण्टरों पर कोई गड़बड़ी हुई कि नहीं ये मैं नहीं जानता। मैनें काउण्टर संख्या 01 की मतगणना के संबंध में कोई आपत्ति नहीं की। मैंने मौखिक आपत्ति की थी। कोई लिखित आपत्ति नहीं की। काउण्टर संख्या 01 की मतगणना से मैं संतुष्ट नहीं था।

साक्षी ने आगे कह कि उसने NOTA व अवैध मतपत्रों को न दिखाने के संबंध में मतगणना से संतुष्ट नहीं था। इसके अतिरिक्त मतगणना से असंतुष्ट होने का कोई कारण नहीं था। मैनें NOTA व अवैध मतपत्रों को दिखाने के संबंध में मतगणना कर्मियों से कहा था। इसके अतिरिक्त अन्य किसी अधिकारी से इस संबंध में कोई शिकायत नहीं की थी। मेरे हिसाब से NOTA व अवैध मतपत्रों को अगर दिखा दिया जाता तो मतगणना मेरे काउण्टर पर मेरे हिसाब से सही होती। मतगणना में इसके अलावा अन्य कोई गड़बड़ी व कमी नहीं थी।

24– वहीं विपक्षी सं०–1 ने याचिका के समस्त आधारों का खण्डन करते हुए आपत्ति/प्रतिवादपत्र प्रस्तुत किया तथा अपने कथनों का साबित करने के लिए विपक्षी सं०–1 ने चार साक्षी पेश किये जिनमें स्वयं को डी०डब्लू०–1 व अन्य तीन को प्रस्तुत किया। विपक्षी सं०–1 के द्वारा बतौर डी०डब्लू०–1 साक्ष्य देते हुए अपने आपत्ति का समर्थन किया है कि उसके द्वारा कोई करेप्ट प्रैक्टिस नहीं की गयी है तथा जिरह में 26 प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन करना तथा मतदान से पूर्व मतदाता सूची पर आपत्ति की गयी थी उसके निस्तारण के पश्चात अन्तिम सूची प्रकाशित हुई थी उसने सूची पर कोई आपत्ति की या नहीं जानकारी होने से मना किया है। साक्षी ने दिनांक–10.07.2025 को हुई शेष जिरह में कहा है कि पढ़ा लिखा है, उसने अपने व अपनी पत्नी को समस्त सम्पत्तियों का ब्यौरा दिया था। वह इनकम टैक्स भरता है उसकी पत्नी नहीं भरती है। नामांकन के समय आई०टी०आर० दाखिल किया था। आगे साक्षी ने कहा कि वह वार्ड सं०–11 में रहता है उसका पुराना घर वार्ड सं०–13 में है। उसने वार्ड

सं०–11 में मतदान किया। उसके परिवार के अन्य सदस्य चाचा–चाची आदि ने वार्ड सं०–13 में मतदान किया। इस गवाह ने अपनी शेष जिरह दिनांक–18.07.2025 में सूची कागज सं०–त–5/10 में क्रम सं०–1 से 21 पर लिखे हुए व्यक्ति मृत है या नहीं उन्हे इंकार किया है। साक्षी ने पृष्ट ए–52/2 के पैरा 3 में यह साक्ष्य दिया है कि मतगणना के समय नोटा वोट मुझको व मेरे एजेंटों को दिखाये गये थे मैं वहाँ मौजूद था। जहाँ एजेंट खडे थे वहाँ से मतगणना टेबिल करीब 1–2 फीट की दूरी पर थी। जहाँ पर एजेंट खड़े थे वहाँ पर बल्ली पर एक जाली लगी थी। एजेंट वोट को हाथ से छू नहीं सकते थे। जाली की ऊँचाई करीब 4–5 फीट के बीच थी। मैं मतगणना के दौरान यह देख पा रहा था कि मतों के खोले जाने पर नोटा नोटा वाली गड्डी में रखा जा रहा था और प्रत्याशियों को प्राप्त होने वाले वोट उनकी गड्डी में रखे जा रहे थे।

25– साक्षी डी०डब्लू०–2 तौहीद अहमद ने अपना मुख्य परीक्षा साक्ष्य शपथ–पत्र प्रस्तुत कर विपक्षी सं०–1 के द्वारा दी गयी आपत्ति का समर्थन करते हुए दिया है इस साक्षी से जिरह की गयी, जिरह में यह आया है कि वह पढ़ा लिखा नहीं है। वह विपक्षी सं०–1 का चुनाव एजेण्ट था। उसके चुनाव की देख रेख व संचालन की जिम्मेदारी उसकी थी। उसे जनरल चुनाव एजेण्ट बनाने के लिए लिखित में लिखकर चुनाव संचालित करने वाले अधिकारी को दिया गया था। विपक्षी सं०–1 की ओर से उसे मिलाकर कुल पाँच एजेण्ट वहाँ मौजूद थे। सभी प्रत्याशियो के पाँच पाँच एजेण्ट मोजूद थे। साक्षी ने मतदाता सूची में मर चुके लोगो व एक व्यक्ति का नाम एक वार्ड या एक से अधिक वार्ड में नाम होने की जानकारी से इंकार किया। विपक्षी सं०–1 की ओर से प्रस्तुत साक्षी डी०डब्लू०–3 मनसूब अली द्वारा उसके द्वारा प्रस्तुत की गयी आपत्ति का समर्थन करते हुए मुख्य परीक्षा शपथ–पत्र दिया। जिरह में साक्षी ने कहा कि उसे टेबल सं०–3 पर कितने मत पड़े किस प्रत्याशी को कितने मत पड़े कितने अवैध व कितने नोटा के थे वह नहीं बता सकता। इस एजेण्ट ने टेबल सं०–3 जिरपर वह काउंटिंग के समय उपस्थित था, याचिकाकर्ता की ओर से उस टेबल पर अखिलेश सिंह व राघव सिंह थे। साक्षी ने मृतक व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में दर्ज होने की जानकारी से इंकार किया है। विपक्षी सं०–1 की ओर से प्रस्तुत चतुर्थ साक्षी डी०डब्लू०–4 सुरेन्द्र मोहन यादव को परीक्षित कराया है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा शपथ पत्र में विपक्षी सं०–1 की आपत्ति का समर्थन करते हुए शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा उससे की गयी जिरह में आया है की जिस मुकदमें में मैं गवाही देने आया हूँ, वह यूसुफ अली बनाम विजय पुष्पम है। मेरे ज्ञान में इस मुकदमें में विपक्षी सं०–1 विजय पुष्पम हैं। मैंने इस मुकदमें शपथ पत्र दाखिल किया है। शपथ पत्र मैंने इस मुकदमें दाखिल किया, तारीख मुझे याद नहीं है। मेरा शपथ पत्र वकील साहब ने मुझसे पूंछकर तैयार करवाया था। जिस दिन मैं शपथ पत्र दाखिल करने आया था, उस दिन मैं अकेला आया था। इस मुकदमें में मेरे अलावा तौहीद अहमद, यूसुफ अली का शपथ पत्र दाखिल हुआ था, फिर कहा कि मंसूब अली का भी शपथ पत्र दाखिल हुआ है। मैंने अपना शपथ पत्र पढ़ा है। यह शपथ पत्र 4 पेज का है, बाकी गवाहों के शपथ पत्र मैंने नहीं पढ़ा है। मैं जल जीवन मिशन में डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर काम करता हूँ। चुनाव के समय मैं कहीं पोस्टेड नहीं था। चुनाव मेरी जानकारी में शायद दिनांक–13.05.2023 को था। मेरी सहभागिता इस चुनाव में यूसुफ अली की ओर मतगणना में रही है। बीच–बीच में मैं चुनाव में आता

जाता रहा हूँ। मैं अपने घर कुरसण्डा से आता–जाता रहा हूँ। मैं लखनऊ में किराये पर रहता हूँ। चुनाव के दौरान मेरा लखनऊ आना–जाना रहा है क्योंकि उस समय मेरी पढ़ाई भी चल रही थी। मुझे यह नहीं मालूम की चुनाव के कितने दिन पहले मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ था। मैंने मतदाता सूची में परिवर्तन या सुधार हेतु कोई भी Representation नहीं दिया था। मेरे संज्ञान में यह भी नहीं है कि किसी प्रत्याशी द्वारा मतदाता सूची में परिवर्तन या सुधार हेतु कोई Representation दिया गया है। मेरी जानकारी में नगर पालिका कैसरगंज की मतदान सूची में कोई मृतक व्यक्ति का नाम दर्ज नहीं था। मेरे संज्ञान में मतदाता सूची में किसी का नाम दो या तीन बार दर्ज नहीं है। नगर पालिका कैसरगंज के चुनाव में यूसुफ अली ने मुझे अपना मतगणना एजेंट नियुक्त किया था। नियुक्ति के संबंध में मैंने फार्म भरा था, उस पर मेरा फोटो लगाया था। मैंने यह फार्म यूसुफ अली को भर कर दिया था। मतगणना गल्लामण्डी कैसरगंज में हुआ था। मतगणना के लिए 5 टेबिल लगाई गई थी। मेरी नियुक्ति टेबिल नं०–4 पर थी। टेबिल नं० 4 पर मेरे अलावा यूसुफ अली की ओर से और कोई मतगणना एजेंट नहीं था। टेबिल नं० 5 पर कौन मतगणना एजेंट था, मुझे याद नहीं। टेबिल नं० 3 पर कौन मतगणना एजेंट था, यह भी मुझे याद नहीं। टेबिल नं० 4 पर प्रत्याशी विजय पुष्पम की ओर से कौन एजेंट था, यह भी मुझे याद नहीं है। प्रत्याशी विजय पुष्पम सिंह की ओर से कौन–कौन से लोग मतगणना एजेंट थे, मुझे नहीं मालूम। टेबिल नं० 4 पर किन–किन वार्डों के मतों की गणना होती थी, मुझे नहीं याद है। टेबिल नं० 4 पर कितने वार्डों की मतगणना होती थी, याद नहीं है। जिस समय मतगणना हो रही थी, उस समय लिस्ट मिली थी कि किस–किस टेबिल पर किन–किन वार्डों की मतगणना होनी है। टेबिल नं० 4 पर कुल कितने मतों की गणना हुई थी, मुझे याद नहीं। राजनीति में मैं बहुत अधिक सक्रिय कभी नहीं रहा हूँ। मेरा यूसुफ अली से करीब 15–20 साल से संपर्क है।

साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि, चुनाव में मतदान और मतगणना को यूसुफ अली ने कुप्रभावित किया है। यह भी कहना गलत है कि यूसुफ अली को मतगणना में धाँधली करके जिताया गया है। यह कहना गलत है कि यूसुफ अली से संबंध होने के नाते मैं झूठी गवाही दे रहा हूँ।

26– अतएव उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में यह तथ्य उभर कर आते है कि मतदान व मतगणना में कोई गड़बड़ी नहीं पायी गयी थी। मतगणना के समय याचिकाकर्ता सभी मतगणना से सन्तुष्ट थी मात्र उसे वार्ड सं०–7 के बूथ सं०–11 वार्ड सं०–10 के बूथ सं०–17, वार्ड सं०–15 त के बूथ सं०–27 तथा 22 कुल चार बूथों की पुनःमतगणना हेतु आर०ओर० से निवेदन किया गया था। उक्त चारो बूथों की पुनःमतगणना के पश्चात मतगणना बिल्कुल सही पायी गयी जिससे याचिकाकर्ता व उसके मतगणना अभिकर्ता संतुष्ट थे। पी०डब्लू०–1 ने भी अपने साक्ष्य में भी मात्र मतगणना को कमी को लेकर आक्षेप लगाया है। साथ ही नोटा व अवैध मतों को विपक्षी सं०–1 के मतों में गिनने का भी आक्षेप लगाया है। जिसक सम्बन्ध में ऐसा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। याचिकाकर्ता द्वारा मतगणना को प्रभावित करने के उपरोक्त कारक कहे गये है परन्तु उनके द्वारा परिणाम घोषित होने से पूर्व ऐसा कोई प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं किया जिससे करेप्ट प्रैक्टिस का तथ्य सामने आता। वहीं विपक्षी सं–1 की ओर से परीक्षित साक्षियों की ओर से अवैध मत व नोटा को अलग से प्रदर्शित किये जाने का साक्ष्य दिया है। आर०ओ० द्वारा विधिअनुकूल प्रक्रिया अपनाते हुए मतगणना कराने का साक्ष्य दिया है।

27– जहाँ तक की याचिकाकर्ता के द्वारा यह तथ्य अपनी याचिका में अभिविर्चित किया है कि मृत लोगों के स्थान पर विपक्षी सं०–1 के सहयोगियों द्वारा मतदान किया गया। इस सम्बन्ध में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जो प्रपत्र सूची 5 के साथ दाखिल किये है जिनमें अधिकांश छायाप्रतियाँ है जो द्वितीयक साक्ष्य के रूप में है, को साबित नहीं किया है। जो कागजात मृतकों के सम्बन्ध में दाखिल किया है वह किसके द्वारा बनाया गया व उसका आधार क्या है उस पर किसी भी अधिकारी के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। चुनाव परिणाम घोषित होने के पश्चात दिनांक–15.05.2023 को जो पत्र भेजा गया है उसके सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारी द्वारा दिया गया जबाव जिसमें उसने लिखा है कि याचिकाकर्ता द्वारा एक सादा कागज रजिस्ट्री डाक से प्राप्त हुआ है उसे भेजने की मंशा से अवगत कराने सम्बन्धी लिखा है। अर्थात जो शिकायत चुनाव के सम्बन्ध में की गयी वह चुनाव परिणाम के घोषित होने के पश्चात की गयी है। ऐसे में यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि चुनाव परिणाम के घोषित होने के पश्चात की शिकायतों पर यदि उनमें कोई ठोस आधार न हो तो उनपर विचार नहीं किया जाएगा। यहाँ याचिकाकर्ता का आचरण दर्शित कर रहा है कि उसके द्वारा सम्बन्धित अधिकारी को सादा कागज (Blank paper) भेजकर कुछ अपने पक्ष में फायदा उठाने की मंशा रही थी उसी कागज के स्थान पर एक अन्य कागज टाइपशुदा न्यायालय में दाखिल किया है। अधिकारी द्वारा भेजे गये पत्र दिनांकित–15.05.2023 के जवाब में भी ऐसा कोई पत्र प्रेषित नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट हो सकता कि उनके द्वारा कोई सादा कागज नहीं भेजा गया था। जहाँ तक की विपक्षी के मेली मददगार द्वारा मतदान मतगणना व चुनाव को प्रभावित करने सम्बन्धी कोई स्पष्ट साक्ष्य पत्रावली पर याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत कर साबित नहीं किया है। यह उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता को अपनी याचिका को साबित करने का भार था। उपरोक्त वादबिन्दुओं के सम्बन्ध में ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल नहीं किया है, जिससे यह साबित हो कि मतदान, मतगणना व चुनवा परिणाम को प्रभावित करने के लिए किस तरह से विपक्षी सं०–1 ने प्रभावित किया। अतः उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में वादबिन्दु सं०–1, 2 व 3 याचिकाकर्ता के विरूद्ध निर्णित किये जाते है।

निस्तारण वादबिन्दु सं०–4:–

28– वादबिन्दु सं०–4 इस आशय के विरचित किया गया है कि, क्या मतगणना कर्मियों द्वारा नगर पालिका के (चुनाव के सदस्यों का आचरण) आदेश 1964 में निहित प्राविधानों का उल्लंघन करके मतगणना की गयी है? यदि हाँ तो प्रभाव?

याचिकाकर्ता के साक्ष्य में यह आया है कि नामांकन के समय कोई गड़बड़ी नहीं थी। साक्षी पी०डब्लू०–1 द्वारा नामांकन के सम्बन्ध में आपत्ति किये जाने से इंकार किया है। साक्षी की मात्र आपत्ति मतगणना में अवैध व नोटा मतों को दर्शित न करने के सम्बन्ध में रही है। साक्ष्य में यह भी आया है कि मतगणना के दौरान उसके द्वारा की गयी आपत्ति के आधार पर वार्ड सं०–7 बूथ सं०–11, वार्ड सं०–10 बूथ सं०–17, वार्ड सं०–15 बूथ सं०–22 व 27 की पुनःमतगणना आर०ओ० द्वारा उसी दिन दिनांक–13.05.2023 को की गयी थी इस तथ्य को छिपाकर याचिकाकर्ता द्वारा याचिका प्रस्तुत की गयी है। नगरपालिका के चुनाव के सदस्यों का आचरण आदेश 1964 के धारा 29 के परन्तुक के प्रावधानों के अनुसार पुनःमतगणना एक बार ही हो सकती है। जोकि आपत्ति के आधार पर

आर०ओ० द्वारा करायी जा चुकी है। यह भी उल्लेखनीय है कि साक्ष्य में किसी भी पक्ष की ओर से मतदान कराने वाले अधिकारियों कर्मचारियों तथा मतगणना करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के आचरण पर आक्षेप किसी भी पक्ष द्वारा नहीं लगाया गया है न ही कोई ऐसा साक्ष्य पस्तुत किया गया है कि रिटर्निंग ऑफीसर व सहकर्मियों द्वारा कोई ऐसा आचरण किया हो जिससे मतगणना में कोई अनियमितता दर्शित हो। क्योंकि इसे साबित करने का भार याचिकाकर्ता पर था जिसे याचिकाकर्ता साबित करने में विफल रही है जिससे यह वादबिन्दु तद्नुसार निस्तारित किया जाता है।

निस्तारण वादबिन्दु सं०–5:–

29– वादबिन्दु सं०–5 इस आशय के विरचित किया गया है कि, क्या चुनाव याचिका आदेश 7 नियम 11 सी०पी०सी० के प्राविधानों से बाधित है?

यह वादबिन्दु विधिक वादबिन्दु है जिसके सम्बन्ध में सी०पी०सी० के आदेश 7 नियम 11 में उल्लेखित है कि इस प्रावधान के अन्तर्गत याचिका के सम्बन्ध में मात्र याचिका व उसके साथ बेसिस ऑफ सूट के रूप में प्रस्तुत किये गये कागजातों को ही देखा जायेगा। जहाँ तक की धारा 326 उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 यह प्रावधानित करती है कि कोई भी वाद जो उसके विरूद्ध या उसके सदस्यों, उसके अधिकारी व उसके कर्मचारी के द्वारा अपने पदिये कर्तव्य के अन्तर्गत किया गया हो तो उसके योजित करने के पूर्व दो माह का लिखित नोटिस दिया जाना आवश्यक है। परन्तु प्रस्तुत मामला नगरपालिका, उसके अधिकारी व कर्मचारियों के विरुद्ध पदिये कर्तव्यों के विरूद्ध योजित नहीं किया गया है। मामला धारा–326 नगरपालिका अधिनियम से बाधित नहीं है। प्रस्तुत मामला नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव से सम्बन्धित मतगणना के सम्बन्ध में चुनाव परिणाम दिनांक–13.05.2023 को घोषित किये जाने के उपरान्त याचिकाकर्ता द्वारा याचिका में उल्लेखित आधारों पर दिनांक–24.05.2023 को प्रस्तुत याचिका योजित की गयी जो धारा–20 उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम में प्रावधानित 30 दिन के समयावदि के अन्दर योजित की गयी है। जिसमे अध्यक्ष पद के विजयी घोषित प्रत्याशी विपक्षी सं०–1 व समस्त हारे हुए प्रत्याशियों को विपक्षी सं०–02 ता 25 बनाया है। याचिका चुनाव में मतदान, मदगणना व विपक्षी सं०–1 द्वारा अपने नामांकन पत्र व उसके द्वारा हल्फनामें दी गयी जानकारियों को प्रश्नचिन्ह करते हुए योजित की गयी है। याचिकाकर्ता के द्वारा याचिका में स्पष्ट रूप से वाद हेतुक के सम्बन्ध में दफा–27 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया है कि उसके द्वारा पुनः मतगणना हेतु दिनांक–13.05.2023 को आर०ओ० महोदय को पत्र दिया था जिसकी सुनवाई न होने पर उसकी सूचना दिनांक–15.05.2023 को जिलाधिकारी विपक्षी सं०–30 व उपजिलाधिकारी कैसरगंज विपक्षी सं०–26 को दी, कोई कार्यावाही न होने की दशा में याचिका मतगणना में अनियमितता व अवैध नामांकन पत्र के आधार पर विपक्षी सं०–1 को निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किये जाने के सम्बन्ध में की है। अतः याचिका आदेश 7 नियम 11 सी०पी०सी० के प्रावधानों से बाधित नहीं है तथा उसके प्रावधानों के अन्तर्गत निरस्त किये जाने योग्य नहीं है। तद्नुसार वादबिन्दु सं०–5 निस्तारित किया जाता है।

निस्तारण अतिरिक्त वादबिन्दु सं०–7

30– वादबिन्दु सं०–7 इस आशय के विरचित किया गया है कि, क्या याचिका उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा–19(2)(क) से बाधित है?

इस स्तर पर सर्वप्रथम धारा–19(2)(क) के उपबन्धों पर दृष्टिपात किया जाना उचितकर होगा।

"19.Power to question municipal election by petition."

(1) The election of any person as a member of a municipality may be questioned by an election petition on the ground, –

(a) that such person committed during or in respect of the election proceedings a corrupt practice as defined in Section 28;

(b) that such person was declared to be elected by reason of the improper rejection or admission of one or more votes, or any other reason was not duly elected by a majority of lawful votes;

(c) that such person was not qualified to be nominated as a candidate for election or that the nomination paper of the petitioner was improperly rejected.

(2) The election of any person as a member of a Municipality shall not be questioned, –

(a) o**n the ground that the name of any person qualified to vote has been omitted from, or the name of any person not qualified to vote has been inserted in the electoral roll or rolls;**

(b) on the ground of any non–compliance with this Act or any rule, or of any mistake in the forms required thereby, or of any error, irregularity or informality on the part of the officer of officers charged with carrying out this Act or any rules, unless such non–compliance, mistake, error, irregularity or informality has materially affected the result of the election.

उपरोक्त प्रावधान के अनुसार कोई भी निर्वाचन इस आधार पर प्रश्नचिन्ह नहीं किया जायेगा कि किसी व्यक्ति का वोट सूची से उपसमित किया गया है या किसी व्यक्ति का वोट उसमें समाहित कर लिया गया है।

यह वाद बिन्दु विपक्षी संख्या–1 की आपत्ति के आधार पर अतिरिक्त वाद बिन्दु के रूप में आदेश दिनांकित–12–05–2025 को विरचित किया गया। उभयपक्ष के साक्ष्य में यह तथ्य आया है कि, अन्तिम सूची का प्रकाशन होने से पूर्व जन सामान्य से आपत्ति आहूत की गयी थी जिसमें याचिकाकर्ता के पिता जो बतौर पी०डब्लू०–2 परीक्षित हुए उनके द्वारा आपत्ति किये जाने पर क्षेत्र के 18000 मतो की संख्या–27000 हुई तथा अन्तिम सूची प्रकाशित हुई जो याचिकाकर्ता उसके साक्षियों विपक्षी संख्या–1 के द्वारा भी देखी गयी तो मात्र इस आधार पर की एक व्यक्ति का नाम एक से अधिक

वार्ड में मतदाता सूची में अंकित तथा कुछ व्यक्ति जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनका नाम सूची में बना रहा है के आधार पर वैध एक विधि अनुसार निर्वाचन को प्रश्नचिन्हं नहीं किया जा सकता। तद्नुसार यह अतिरिक्त वाद बिन्दु निस्तारित किया जाता है।

निस्तारण अतिरिक्त वाद बिन्दु सं०–8

31– अतिरिक्त वादबिन्दु सं०–8 इस आशय के विरचित किया गया है कि, क्या विपक्षी सं०–1 का चुनाव नामांकन पत्र मय शपथ–पत्र में अपना आपराधिक इतिहास छिपाये जाने के कारण अवैध व शून्य है और याची निर्वाचित घोषित किये जाने योग्य है?

यह वाद बिन्दु याचिकाकर्ता के अभिवचनों के आधार पर आदेश दिनांकित–01–04–2026 को विरचित किया गया। यह सुस्थापित सिन्द्धान्त है कि, विशेष अधिनियम व उसमें बने नियमों उपनियमों सामान्य नियमों पर अधिभार रखेंगे। अध्यक्ष नगर पंचायत के चुनाव से सम्बन्धित विधि उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम 1916 है तथा उसके अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों के अधीन बनाये गये नियम जो उ०प्र० मिनिसप्लटीज (इलेक्शन आफ मेम्बर, कार्पोरेटर, चेयरमैन एण्ड मेयर) रूल्स 2010 के अधीन होगा, जहां तक कि याचिका के पैरा–20 में आपराधिक इतिहास होने का अभिकथन किया है उस सम्बन्ध में पत्रावली पर आयी साक्ष्य को जब देखते है तो याचिकाकर्ता के द्वारा सूची ग–70 से 09 दस्तावेज दाखिल किये गये जिनमें नकल एफ०आई०आर०–मु०अ०सं०–715/2015 तथा उसमें दाखिल किये गये आरोप पत्र, संज्ञान आदेश दिनांकित–11–04–2016 तथा नकल एफ०आई०आर० मु०अ०सं०–26/2018 व उसमें दाखिल आरोप व संज्ञान आदेश दाखिल किया है। साथ जनसूचना के द्वारा प्राप्त विपक्षी संख्या–1 के नामांकन पत्र व उसके द्वारा दाखिल शपथ पत्र व अन्य प्रपत्र दाखिल किये हैं। इस सम्बन्ध में सर्व प्रथम विवेचक के नामांकन पत्र का अवलोकन करते है तथा उसके साथ संलग्न प्रारूप सं०–7 कागज सं०–ग–70/34 में पैरा 1 में प्रकरण/प्रकरणों आपराधिक कृत्य के लिए दोषसिद्ध सम्बन्धित विवरण मांगा गया है, जिसके सम्बन्ध में विपक्षी सं०–1 द्वारा अंकित किया है कि कभी दोषसिद्ध नहीं हुआ। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर आयी साक्ष्य का अवलोकन करते है तो याचिकाकर्ता द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर दाखिल नहीं किया जिससे यह स्पष्ट हो सके की विपक्षी सं०–1 नामांकन भरे जाने से पूर्व किसी मामले में दोषसिद्ध हुआ हो। यहाँ पर माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **Krishnamoorthy vs. Sivakumar & others, AIR 2015 SC** में पैरा 69 तथा पैरा 86 में उक्त के सम्बन्ध में अवधारित किया गया है कि किन अपराधों के सम्बन्ध में अपने नामांकन पत्र के साथ प्रारूप 07 पर उल्लेख किया जाना आज्ञापक होगा। पैरा 69 व पैरा 86 निम्न प्रकार है–

> **69.** On a perusal of the aforesaid format, it is clear as crystal that the details of certain categories of offences in respect of which cognizance has been taken or charges have been framed must be given/furnished. This Rule is in consonance with Section 33–A of the 1951 Act. Section 33(1) envisages that information has to be given in accordance with the Rules. This is in addition to the information to be provided as per Section 33(1)(i) and (ii). The

affidavit that is required to be filed by the candidate stipulates mentioning of cases pending against the candidate in which charges have been framed by the court for offences punishable with imprisonment for two years or more and also the cases which are pending against him in which cognizance has been taken by the court other than the cases which have been mentioned in Clause 5(i) of Form 26. Apart from the aforesaid, Clause 6 of Form 26 deals with conviction.

86. In view of the above, we would like to sum up our conclusions:

(a) Disclosure of criminal antecedents of a candidate, especially, pertaining to heinous or serious offence or offences relating to corruption or moral turpitude at the time of filing of nomination paper as mandated by law is a categorical imperative.

(b) When there is non–disclosure of the offences pertaining to the areas mentioned in the preceding clause, it creates an impediment in the free exercise of electoral right.

(c) Concealment or suppression of this nature deprives the voters to make an informed and advised choice as a consequence of which it would come withing the compartment of direct or indirect interference or attempt to interfere with the free exercise of the right to vote by the electorate, on the part of the candidate.

(d) As the candidate has the special knowledge of the pending cases where cognizance has been taken or charges have been framed and there is a non–disclosure on his part, it would amount to undue influence and, therefore, the election is to be declared null and void by the Election Tribunal under Section 100(1)(b) of the 1951 Act.

(e) The question whether it materially affects the election or not will not arise in a case of this nature.

उपरोक्त विधि व्यवस्था में दिये गये सिद्धान्त के अनुसार आपराधिक इतिहास जो जघन्य अपराध, भ्रष्टाचार व नैतिक अधमता के सम्बन्ध में उल्लेख किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त अपराधों के सम्बन्ध में उल्लेख न किये जाने से स्वतन्त्र चुनाव में भाग लेने वालों के अधिकार को प्रभावित करेंगे और इस तरह के अपराधों का उल्लेख न करने से मतदाताओं के अधिकारों और उनकी इच्छा को भी प्रभावित कर सकते है और इसका प्रभाव असम्यक असर का होगा और ऐसा चुनाव आरम्भ से शून्य होगा और इस प्रकृति के अपराध में कि यह प्रश्न कि चुनाव पर प्रभाव डालेंगे या नहीं, उत्पन्न नहीं होगा।

32– उपरोक्त विधि व्यवस्था में दिये गये सिद्धान्त के अनुरूप जब हम विपक्षी सं०–1 के सम्बन्ध में पत्रावली पर याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल प्रपत्रों का परिशीलन करते है तो दो आपराधिक मामलों का उल्लेख किया गया है जिनमें मु०अ०सं० 715/2015 धारा–323, 143, 352, 336, 427, 504, 506 से सम्बन्धित है जिसमें आरोप पत्र मात्र विपक्षी सं०–1 के विरुद्ध दाखिल किया गया है, जिसके सम्बन्ध में विपक्षी सं०–1 द्वारा सूची कागज सं०–ग–69 से उक्त मामले में वादी मुकदमा से सुलह

किये जाने सम्बन्धित सुलहनामा की सत्य प्रतिलिपि दाखिल की है जिसमें न्यायालय सी०जे०एम० बहराइच द्वारा दिनांक–04.04.2019 को सत्यापन किये जाने सम्बन्धित आदेश पारित किया है। उक्त मामले में आरोप अभी तक विरचित नहीं हुआ है। अन्य मामला जो मु०अ०सं०–26/2018 जो धारा–147, 148, 323, 504, 506, 452 आई०पी०सी० थाना–कैसरगंज पर दर्ज होने के सम्बन्ध में दाखिल किया है जिसमें आरोप पत्र दाखिल हो चुका है, जिसपर संज्ञान भी लिया जा चुका है । इस सम्बन्ध में विपक्षी सं०–1 के द्वारा प्रस्तुत कागजात ग–69/9 प्रश्नोत्तरी जो न्यायालय सी०जे०एम० बहराइच से प्राप्त की गयी है जिसके सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा कहा गया है कि 1– क्या मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तगण न्यायालय पर आरोप पत्र प्राप्त होने के पश्चात हाजिर हुये है? जी नहीं। 2– क्या मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तगण पर कोई सम्मन या जमानतीय वारण्ट तामील होकर पत्रावलित है? जी नहीं, दाखिल किया है। उपरोक्त के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है कि इस मुकदमे में विपक्षी सं०–1 हाजिर नहीं हुआ है। उसे इस मुकदमे से सम्बन्धित कोई सम्मन या जमानतीय वारण्ट तामील नहीं हुआ है। इस सम्बन्ध में याची की ओर से कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके विपरीत विपक्षी सं०–1 द्वारा पूरक शपथ पत्र बावत मुख्य परीक्षा अतिरिक्त दाखिल कर कथन किया है कि शपथी मुकदमा उपरोक्त में विपक्षी सं०–1 है तथा मुकदमा के तथ्यों से भली–भांति परिचित है। साक्षी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत शपथ–पत्र कागज संख्या क–42 दिनांकित 02.05.2025 की दफात 1 ता 13 पूर्णतया सत्य है। साक्षी के विरूद्ध मु०अ०सं० 26/2018, धारा 147, 148, 323, 504, 506, 452 आई०पी०सी०, थाना कैसरगंज के अंकित होने का कथन याचिनी द्वारा किया गया है। उक्त अपराध की कोई जानकारी साक्षी को नहीं थी। उक्त मुकदमे में न तो साक्षी ने अपनी जमानत करायी है और न तो साक्षी को उपरोक्त मुकदमे में उपस्थित होने हेतु कोई सूचना ही दी गयी है और न तो उपरोक्त मुकदमे की विवेचना में विवेचक द्वारा साक्षी को बुलाया ही गया था और न तो साक्षी का कोई बयान ही अंकित किया गया। उक्त मुकदमे की जानकारी याचिनी द्वारा न्यायालय पर कागजात प्रस्तुत करने पर हुई है। साक्षी द्वारा उपरोक्त पद का नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय तक साक्षी को उपरोक्त अपराध के पंजीकृत होने व विवेचना होने सम्बन्धी कोई जानकारी नहीं थी इसलिए नामांकन पत्र के साथ प्रस्तुत प्रारूप 7 में उक्त मुकदमा अंकित नहीं किया जा सका था। जहां तक मु०अ०सं० 715/2015, धारा 323, 143, 352, 336, 427, 504, 506 आई०पी०सी०, थाना कैसरगंज का सम्बन्ध है, उक्त मुकदमे में साक्षी व प्रथम सूचक वादी मुकदमा व उसके गवाहान के मध्य सुलह हो गयी थी तथा उसी क्रम में प्रथम सूचक/वादी व साक्षी द्वारा दिनांक 04.04.2019 को सुलहनामा न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय बहराइच में प्रस्तुत किया गया था, जिसे दिनांक 04.04.2019 को न्यायालय द्वारा सत्यापित किया गया था। साक्षी को यह जानकारी थी कि उक्त मुकदमे का विवाद समाप्त हो गया है इसलिए उक्त मुकदमा समाप्त हो जाने के इसी भ्रम में नामांकन पत्र के साथ प्रस्तुत प्रारूप 7 में उक्त मुकदमा अंकित नहीं किया गया था। साक्षी द्वारा मुकदमों को जान बूझकर छिपाने का न तो कोई औचित्य था और न तो साक्षी को उससे कोई लाभ ही था, उक्त गलती सद्भावी है। साक्षी के नामांकन पत्र के साथ प्रारूप–7 में उपरोक्त दोनों अपराध संख्या के सम्बन्ध में न लिखे जाने के कारण सम्बन्धित चुनाव न तो किसी प्रकार सार रूप से प्रभावित हुआ है और न तो उससे चुनाव पर कोई असर पड़ा है

बल्कि चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष रूप से सम्पन्न हुआ है। साक्षी से याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह की गयी जिरह में साक्षी ने पृष्ठ ए–71/1 में कथन किया है कि मेरा उपनाम सोनू है। चूँकि सोनू मेरा पुकरने वाला उपनाम है, दस्तावेजों में मेरा उपनाम सोनू नहीं है। इसीलिए मैने चुनाव के नामांकन फार्म में अपना अलग सोनू होना प्रकट नहीं किया। मेरे विरूद्ध अशफाक ने जो एफ.आई.आर. किया था, वह वर्ष 2015 में किया था। तारीख नहीं याद है। उसका Crime No. याद है जो 715/2015 है। उस मुकदमें में न्यायालय में सुलहनामा दाखिल हुआ था। यह सुलहनामा दिनांक–04.04.2019 को दाखिल हुआ था। उस मुकदमें में एफ.आई.आर. में मेरे अलावा अन्य लोगों को भी अभियुक्त बनाया गया था किन्तु विवेचना में अन्य लोगों का नाम निकाल दिया गया था औऱ सिर्फ मेरे विरूद्ध आरोप–पत्र प्रस्तुत किया गया था। उक्त वाद अपराध संख्या–715/2015 में मैनें न्यायालय पर उपस्थित होकर जमानत कराई थी। साक्षी ने आगे कहा है कि जिस दिन जमानत प्रार्थना पत्र दिया था उस दिन जमानत हो गयी थी, जेल नहीं जाना पड़ा था। जमानत कराने के लिए मैनें अपना अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया था। उस मुकदमें में मेरी ओर से पैरवी अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव करते हैं, फिर कहा करते थे।

33– गवाह ने पृष्ठ ए–71/2 के दूसरे पैरे में कहा है कि मेरे विरुद्ध दूसरा फौजदारी मुकदमा अपराध संख्या– 26/2018 किसने दर्ज कराया, इसकी मुझको जानकारी नहीं है। गवाह से प्रश्न किया गया कि मु०अ०सं०–26/2018 में आपके अतिरिक्त अन्य किसी को अभियुक्त बनाया गया अथवा नहीं? के उत्तर में गवाह ने कहा कि दिनांक–27.02.2026 को मेरे अधिवक्ता श्री गया प्रसाद मिश्रा एडवोकेट द्वारा मुझे यह बताया गया कि मेरे विरुद्ध एक और आपराधिक मुकदमा अपराध संख्या–26/2018 दर्ज है, और इस मुकदमें में मेरे साथ कुछ अन्य लोगों परवेज आदि को भी अभियुक्त बनाया है।

गवाह ने इस बात से इंकार किया है कि उसे मु० अ० सं०–26/2018 की विवेचना प्रचलित है या समाप्त हो चुकी है। नामांकन किये जाते समय पुलिस विभाग से प्रत्याशी के विरुद्ध कोई एफ.आई.आर. न दर्ज होने संबंधी प्रमाण–पत्र लिया जाना आवश्यक नहीं होता है। मैनें नामांकन करते समय पुलिस विभाग से अपने पक्ष में चरित्र प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु आवेदन किया था। उक्त आवेदन पर मेरे नाम पुलिस विभाग से चरित्र प्रमाण–पत्र जारी किया गया था और उसे मैनें अपने विवेक से अपने नामांकन फार्म के साथ संलग्न किया था। गवाह को फेहरिस्त दिनांक–26.02.2026 के साथ संलग्न कागज संख्या– 07 जन सूचना दिनांक–24.02.2026 का कागज संख्या– 12 चरित्र प्रमाण पत्र दिनांक– 03.11.2022 दिखाया गया तो गवाह ने बताया कि यह उसी चरित्र प्रमाण–पत्र की प्रति है।

34– गवाह ने आगे पृष्ठ ए–71/3 पर कहा है कि मु०अ०सं०–26/2018 में मैनें जमानत नहीं करायी क्योंकि मुझको इस मुकदमें का कोई ज्ञान नहीं था। मैं अपनी Facebook ID युसुफ अली सोनू के नाम से बनाये हुए हूँ तथा जब सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होता हूँ तो यदा कदा उस पर पोस्ट भी करता हूँ। गवाह को फेहरिस्त दिनांकित 26.02.2026 के माध्यम से दाखिल फोटोग्राफ दिखाये गये तो गवाह ने बताया कि यह मेरे द्वारा किए गये पोस्ट की स्क्रीन शाट है। मैनें मुकदमा अपराध संख्या–715/2015 में जमानत कराते समय अपने पहचान पत्र के रुप में अपना मतदाता पहचान पत्र दाखिल

किया था। उस पहचान पत्र में मेरा नाम सोनू पुत्र सय्यूब अली लिखा हुआ है।

गवाह ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह जानबूझकर नामांकन के समय अपने विरूद्ध दर्ज फौजदारी वादो की जानकारी छिपाई है और झूठी गवाही दे रहा हूँ।

35– इसी परिप्रेक्ष्य में जब हम फार्म सं०–7 (पृष्ठ ग–70/34) का अवलोकन करने पर पैरा 2 में प्रकरणो में आरोप मुक्त/उन्मोचित हो चुका हूँ के उत्तर में कभी आरोपति नहीं, अंकित किया है। वहीं पैरा 3 में नामांकन पत्र दाखिल करने के दिनांक से छः माह की अवधी से पूर्व अभियोग में आरोपित हूँ जिनमें दो वर्ष से अधिक के कारावास का दण्ड है और जिसमें आरोप तैयार किया गया है और न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है, के सम्बन्ध में कभी आरोपित नहीं लिखा है। इसी के परिप्रेक्ष्य में विपक्षी सं०–1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा नियम 22(1) उत्तर प्रदेश नगरपालिका नियम, 2010 के सम्बन्ध में तर्के दिया है कि विशेष अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित नियम में आरोप विरचित करने और दोषसिद्धि का उल्लेख किया जाना आज्ञापक है। संज्ञान लिये जाने की सूचना दिया जाना आज्ञापक नहीं है। इस सम्बन्ध में नियम 22 पर दृष्टिपात किया जाना उचितकर समझता हूँ–

Rule–22. Right to information.

(1) A candidate shall, apart from any information which he or she is required to furnish under the Act in his or her nomination paper delivered under Rule 19 and Rule 20 also furnish the information as to whether–

(i) he or she is accused of any offence punishable with imprisonment for two years or more in a pending case in which a **charge** has been framed by the court of competent jurisdiction;

(ii) he or she has been **convicted** of an offence other than any offence referred to in clause (1) for imprisonment for one year or more;

(iii) the **assets** (immovable, movable, bank balance, etc.,) of a candidate and of his or her spouse and that of his or her dependents;

(iv) **liabilities**, if any, particularly whether they are any other dues of any public financial institutions or of the Central or the State Government dues;

(v) the **educational qualification** of the candidate.

(2) The candidate or his or her proposer, as the case may be, shall, at the time of delivering to the returning officer the nomination paper under Rules 19 and 20, also deliver to him or her an affidavit or declaration sworn by the candidate in a prescribed Form verifying the information specified in sub–rule(1).

(3) The returning officer shall, as soon as may be after the furnishing of information to him or her under sub–rule (1), display the aforesaid information by affixing a copy of the affidavit, delivered under sub–rule (2), at a conspicuous place at his or her office for the

information of the electors relating to a ward of constituency for which the nomination paper is delivered.

उपरोक्त नियम में दिये गये प्रावधान जो उपनियम 1(i) व 1(ii) के अवलोकन से व माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था कृष्णमूर्थी बनाम शिव कुमार एवं अन्य (उपरोक्त) के आलोक में, उत्तर प्रदेश राज्य में होने वाले अध्यक्ष, सदस्यों, मेयर आदि के चुनाव में जघन्य अपराध, भ्रष्टाचार के मामले व नैतिक अधमता के अपराध के सम्बन्ध में दोषसिद्ध व आरोप विरचित किये जाने की सूचना दिया जाना आज्ञापक है। इस सम्बन्ध में जब पत्रावली पर आयी साक्ष्य का अवलोकन करते है तो विपक्षी सं०–1 किसी भी मामले में दोषसिद्ध नहीं हुआ है। वहीं प्रश्नोत्तरी के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि विपक्षी सं०–1 के विरुद्ध उपरोक्त वर्णित मु०अ०सं०–715/2015 व मु०अ०सं०–26/2018 में आरोप विरचित नहीं हुआ है ऐसे में मु०अ०सं०–715/2015 में न्यायालय सी०जे०एम० बहराइच द्वारा संज्ञान लेने के उपरान्त मामले में पक्षों में सुलह हो जाने व उसका सत्यापन विद्वान सी०जे०एम० बहराइच द्वारा सत्यापित किये जाने का साक्ष्य पत्रावली पर आया है। ऐसे में यह न्यायालय माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कृष्णमूर्थी बनाम शिव कुमार आदि में दिये गये सिद्धान्तों व नियम 22(1)(i) व 22(1)(ii) के उपबन्ध जो उत्तर प्रदेश राज्य में लागू है, के आलोक में जो सूचना प्रारूप 7 के पैरा 2 में दी गयी है वह सही है वहीं नियम 22 के अनुरूप संज्ञान लिये जाने को दर्शित किया जाना आज्ञापक नहीं है जबकि कथित मामले में पक्षों के मध्य वर्ष 2019 में सुलह होने के पश्चात सुलहनामा न्यायालय द्वारा सत्यापित किया जा चुका है, और अपराध शमनीय है। उपरोक्त दोनों मामलों में कोई भी मामला जघन्य अपराध, भ्रष्टाचार तथा नैतिक अधमता के अपराधों से सम्बन्धित नहीं है। जहाँ तक की साक्ष्य में अपराध सं०–26/2018 के सम्बन्ध में विपक्षी सं०–1 को जानकारी न होने का स्पष्ट साक्ष्य आया है। ऐसे में यह वादबिन्दु तद्नुसार निस्तारित किया जाता है।

निस्तारण वादबिन्दु सं०–6:–

36– वादबिन्दु सं०–6 इस आशय के विरचित किया गया है कि, क्या याचिकाकर्ता किसी प्रतिकार को पाने का अधिकारी है?

चुनाव विधिसम्मत रूप से कराये जाने के उपरान्त उसकी मतगणना नियमानुसार की गयी तथा सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त की गयी सूचनाओं में जो कर्यालय सहायक जनसूचना अधिकारी/तहसीलदार कैसरगंज द्वारा पत्रांक सं०–5828/जनसूचना/2024 दिनांकित–02.05.2024 के द्वारा इस प्रश्न के उत्तर में कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन वर्ष 2023 में काउंटिंग के पश्चात रनर प्रत्याशी कु० विजय पुष्पम के द्वारा रिकाउंटिंग हेतु दिये गये प्रार्थना–पत्र द्वारा किन–किन बूथों की रिकाउंटिंग प्रार्थना–पत्र दिया गया था। जिसके सम्बन्ध में बूथ सं०–11, 17, 27 व 22 कुल चार बूथों की रिकाउंटिग प्रार्थना–पत्र दिया गया था साक्ष्य व अभिवचनों में आया है कि उक्त की काउंटिंग उसी दिन यानी दिनांक–13.05.2023 को रिटर्निंग ऑफीसर उक्त चारों बूथों की पुनःमतगणना द्वारा करायी गयी थी। इस तथ्य को छिपाकर याचिकाकर्ता द्वारा याचिका प्रस्तुत की गयी। याचिकाकर्ता स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष नहीं आयी है।

उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में वादबिन्दु सं०–1, 2, 3, 4 व 5 तथा अतिरिक्त वादबिन्दु सं०–7 व 8 के निष्कर्ष से याचिकाकर्ता कोई अनुतोष पाने की अधिकारी नहीं है। अतएव याचिकाकर्ता कोई अनुतोष पाने की अधिकारी नहीं है। याचिकाकर्ता की याचिका खारिज किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत चुनाव याचिका सं०–01/2023– कु० विजय पुष्पम बनाम यूसुफ अली आदि सव्यय खरिज की जाती है।

बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(**पवन कुमार शर्मा–II**)
दिनांकः04.04.2026 प्रथम अपर जनपद न्यायाधीश
बहराइच।

यह निर्णय मेरे द्वारा आज हस्ताक्षरित एवं दिनाँकित होने के पश्चात खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(**पवन कुमार शर्मा–II**)
दिनांकः04.04.2026 प्रथम अपर जनपद न्यायाधीश
बहराइच।